पूरक

CALIFORNIA

आम चुनाव

मंगलवार, नवम्बर 4, 2014

यह मार्गदर्शिका पहली आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका की पूरक है।
इसमें प्रस्ताव 1 के बारे में जानकारी दी गयी है, जिसे पहली मार्गदर्शिका के छप जाने के बाद मतपत्र में जोड़ा गया था।

★ आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका ★

विशुद्धता का प्रमाण—पत्र

मैं, Debra Bowen, California राज्य की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूँ कि यह मार्गदर्शिका कानून के अनुरूप तैयार की गयी है।
12 सितम्बर, 2014 के इस दिन इसकी विषय-वस्तु को संज्ञान में रखते हुए इस पर हस्ताक्षर करती हूँ और Sacramento, California में राज्य की मुहर लगाती हूँ।

Debra Bowen
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

चुनाव दिवस पर, मतदान सुबह 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुला रहेगा

पूरक

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

प्रिय साथी मतदाता,

हाल ही में आपने 4 नवम्बर को होने वाले आम चुनाव के लिए **आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका** प्राप्त की थी। मतपत्र पर विधायी विधेयकों को रखने की समय-सीमा 26 जून थी। उस समय-सीमा के बाद, विधानमंडल और गवर्नर ने मतपत्र में प्रस्ताव 1 जोड़ा। मेरी टीम ने यह **पूरक आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका** आपको अतिरिक्त मतपत्र विधेयक के बारे में अपना निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की है।

याद रखें: इस चुनाव के लिए दो राज्य मतदाता जानकारी मार्गदर्शिकायें, और साथ ही आपकी काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका हैं, और हो सकता है कि वे सभी एक ही दिन आपकी डाक-पेटी में नहीं पहुँचें। मैं आपको उन सभी छह राज्यव्यापी विधेयकों, जो आपके मतपत्र पर होंगे, के बारे में जानने हेतु समय लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ।

आपकी काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका में उम्मीदवारों और आपके क्षेत्र के लिए अनूठे विधेयकों के बारे में जानकारी दी गयी है। चुनाव से सम्बन्धित और अधिक विवरण के लिए जैसे कि अपने मतदाता पंजीकरण की जाँच कैसे करें, अपने मतदान स्थल का पता कैसे लगायें, या इसकी पुष्टि कैसे करें कि आपका डाक-द्वारा-मतदान का मतपत्र मिल गया है, *www.sos.ca.gov/elections* देखें या (888) 345-2692 पर फोन करें।

हर पंजीकृत मतदाता के पास डाक द्वारा मतदान करने या किसी स्थानीय मतदान स्थल पर मतदान करने का विकल्प है। आपके काउंटी चुनाव कार्यालय से डाक-द्वारा-मतदान के मतपत्र हेतु अनुरोध करने की आखिरी तारीख अक्तूबर 28 है। चुनाव के दिन, मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुला रहेगा।

इस दूसरी मतदाता मार्गदर्शिका में अटॉर्नी जनरल Kamala D. Harris के द्वारा तैयार किये गये अतिरिक्त मतपत्र विधेयक का शीर्षक और सारांश; विधायी विश्लेषक Mac Taylor के द्वारा तैयार किया गया मतपत्र विधेयक का निष्पक्ष विश्लेषण और करदाताओं के लिए सम्भावी लागत; प्रस्तावकों और विरोधियों के द्वारा तैयार किये गये मतपत्र विधेयक सम्बन्धी तर्क; विधायी सलाहकार Diane F. Boyer-Vine के द्वारा तैयार किया गया और प्रूफ पढ़ा हुआ प्रस्तावित कानून का मूलपाठ; और अन्य उपयोगी जानकारी शामिल है। यह मार्गदर्शिका राजकीय प्रिंटर David Gerald "Jerry" Hill की निगरानी में छापी गयी थी।

विषय-सूची

त्वरित-संदर्भ मार्गदर्शिका **5**

प्रस्ताव

1 जल बॉण्ड। जल गुणवत्ता, जलापूर्ति, जलोपचार और जल भंडारण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण। **6**

राजकीय बॉण्ड ऋण का संक्षिप्त विवरण **12**

प्रस्तावित कानून का मूलपाठ **14**

मतदाता अधिकारों की सूची **31**

सूचना पृष्ठ

अपने मतदान स्थल का पता करें 4

मतदान कैसे करें 4

पूरक मतदाता मार्गदर्शिका 5

ऑनलाइन संसाधन 5

राज्यव्यापी उम्मीदवारों और मतपत्र विधेयकों के लिए शीर्ष योगदानकर्ता 5

California में चुनाव 28

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 29

काउंटी चुनाव कार्यालय 30

अपने मतदान सम्बन्धी अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, इस मार्गदर्शिका का पृष्ठ 31 देखें।

मतदाता पंजीकरण

अगर आप अपना नाम बदल लेते हैं, अपने घर का पता, अपना डाक पता बदल लेते हैं, या किसी राजनीतिक दल को बदलना या उसका चयन करना चाहते हैं, तो आप अपनी मतदाता पंजीकरण सूचना को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

RegisterToVote.ca.gov पर ऑनलाइन फॉर्म के साथ मतदान करने के लिए पंजीकरण कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। मतदाता पंजीकरण आवेदन-पत्र अधिकतर डाकखानों, पुस्तकालयों, शहर और काउंटी के सरकारी कार्यालयों, और California सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय पर भी उपलब्ध हैं।

अपने मतदान स्थल का पता करें

मतदान स्थल काउंटी के चुनाव अधिकारियों के द्वारा स्थापित किये जाते हैं। जब आपको चुनाव के दिन से कुछ हफ्ते पहले डाक में अपनी काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका प्राप्त हो, तो उसके पीछे के कवर पर अपने मतदान स्थल के पते तलाशें।

अगर आप 20 अक्तूबर, 2014 के बाद किसी नये पते पर चले गये हों, तो आप अपने पूर्व मतदान स्थल पर मतदान कर सकते हैं।

बहुत से काउंटी चुनाव अधिकारी वेबसाइट या फोन नम्बरों के जरिये मतदान स्थल खोजने सम्बन्धी सहायता प्रदान करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, *www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm* पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट देखेंया (800) 345-8683 पर टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन को फोन करें।

चुनाव के दिन, मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुला रहेगा। अगर आप शाम 8:00 बजे से पहले लाइन में हैं, तो आप मतदान कर सकेंगे।

अगर आपका नाम आपके मतदान स्थल पर मतदाता सूची में नहीं हो, तो आपको एक अंतरिम मतपत्र पर मतदान करने का अधिकार है। अंतरिम मतपत्र सामान्य मतपत्र की तरह ही दिखता है लेकिन आप इसे एक विशेष लिफाफे में डालेंगे। आपका अंतरिम मतपत्र चुनाव अधिकारियों के द्वारा यह पुष्टि कर लिये जाने के बाद गिना जायेगा कि आप उस काउंटी में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं और आपने उस चुनाव में पहले से ही मतदान नहीं किया है।

आप उस काउंटी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं, किसी भी मतदान स्थल पर अंतरिम मतपत्र पर मतदान कर सकते हैं।

मतदान कैसे करें

मतदान करते समय आपके पास दो विकल्प हैं। आप अपनी काउंटी में किसी मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं या आप डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं। आपको अपने मतपत्र पर दिये गये प्रत्येक चुनावी मुकाबले के लिए मतदान करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वोट हर उस मुकाबले के लिए गिना जायेगा जिसके लिए आपने मतदान किया है। अपने मतदान सम्बन्धी अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, इस मार्गदर्शिका का पृष्ठ 31 देखें।

चुनाव के दिन मतदान स्थल पर मतदान करना

जब आप अपने मतदान स्थल पर पहुँचेंगे, तो एक मतदान कर्मी आपका नाम पूछेगा और उस मतदान स्थल के लिए पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची की जाँच करेगा। आपके सूची पर अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर देने के बाद, मतदान कर्मी, आपकी काउंटी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मतदान प्रणाली पर निर्भर करते हुए, आपको एक कागज़ी मतपत्र, अनूठा पासकोड, या कम्प्यूटर मेमोरी कार्ड देगा। किसी एकांत बूथ में जायें और मतदान शुरू करें।

मतदाताओं की सहायता करने के लिए मतदान कर्मी उपलब्ध हैं। अगर आप इस बाबत परिचित नहीं हैं कि मतपत्र को कैसे अंकित करना है, तो निर्देशों के लिए किसी मतदान कर्मी से पूछें। अगर मतपत्र को अंकित करने में आपसे कोई गल्ती हो जाये, तो उस गल्ती को कैसे ठीक करें इस बारे में मतदान कर्मी से पूछें या एक नया मतपत्र मांगें और फिर से शुरू करें।

राजकीय और संघीय कानूनों के अनुसार मतदान स्थल शारीरिक असमर्थताओं वाले मतदाताओं के लिए भौतिक रूप से सुलभ होनें चाहियें। मतदान स्थल में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चुनावों के कानूनों और मतदाता अधिकारों में प्रशिक्षित है, जिनमें समान सुलभता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और कार्यविधियों में यथोचित संशोधन करने की ज़रूरत भी शामिल है।

डाक द्वारा मतदान करना

अपने डाक-द्वारा-मतदान के मतपत्र पर अपनी पसंद चिन्हित कर देने के बाद, इसे अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय के द्वारा प्रदत्त आधिकारिक लिफाफे में रख दें और उसे सील कर दें। लिफाफे के बाहर की तरफ निर्देशित जगह पर हस्ताक्षर कर दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह निर्धारित समय-सीमा तक पहुँच जाये, अपने मतपत्र को या तो:

- डाक से वापस लौटा दें, ताकि आपका मतपत्र आपकी काउंटी के चुनाव कार्यालय को चुनाव के दिन शाम 8:00 बजे तक प्राप्त हो जाये। चूँकि डाक की मोहर महत्व नहीं रखतीं, इसलिए अपना मतपत्र चुनाव के दिन से कुछ दिन पहले भेजें।
- अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय या अपनी काउंटी के किसी भी मतदान स्थल पर चुनाव के दिन शाम 8:00 बजे से पहले, व्यक्तिगत रूप से लौटा दें।

भले ही आपने अपना डाक-द्वारा-मतदान का मतपत्र प्राप्त कर लिया हो, तो भी आप अपना विचार बदल सकते हैं और चुनाव के दिन अपने मतदान स्थल पर मतदान कर सकते हैं। अपना डाक-द्वारा-मतदान का मतपत्र मतदान स्थल पर लेकर आयें और उसे बदल कर मतदान स्थल सम्बन्धी मतपत्र देने के लिए उसे किसी मतदान कर्मी को दे दें। अगर आपके पास आपका डाक-द्वारा-मतदान का मतपत्र नहीं है, तो आपको एक अंतरिम मतपत्र पर मतदान करने की अनुमति दे दी जायेगी।

त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका

प्रस्ताव **1** **जल बॉण्ड। जल गुणवत्ता, जलापूर्ति, जलोपचार और जल भंडारण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण।**

सारांश *विधानमंडल के द्वारा मतपत्र पर रखा गया*

राज्य के बुनियादी जलापूर्ति ढाँचे से सम्बन्धित परियोजनाएं, जैसे कि सतही और भूमिगत जल भंडारण, पारिस्थितिक तंत्र यानि ईकोसिस्टम और वाटरशेड संरक्षण तथा बहाली, और पेय जल संरक्षण के लिए सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के रूप में $7.545 बिलियन की धनराशि अधिकृत करता है। रोजकोषीय प्रभाव: 40 वर्ष की अवधि के दौरान राज्य बॉण्ड्स की लागतों में औसतन सालाना $360 मिलियन डॉलर की वृद्धि। सम्भावना है कि अगले कुछ दशकों में स्थानीय सरकारों को जल परियोजनाओं से सम्बन्धित बचत औसतन सालाना कुछ सौ मिलियन डॉलर होगी।

आपके वोट का क्या महत्व है

हाँ इस विधेयक पर हाँ यानि अनुकूल वोट का मतलब है: विभिन्न जल-सम्बन्धी कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए राज्य $7.1 बिलियन की धनराशि अतिरिक्त सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के रूप में बेच सकता है—साथ ही $425 मिलियन की धनराशि ऐसे अविक्रित सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के रूप में पुनर्निर्देशित कर सकता है जिन्हें संसाधन-सम्बन्धी उपयोगों के लिए मतदाताओं के द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी—थी।

नहीं इस विधेयक पर नहीं यानि प्रतिकूल वोट का मतलब है: राज्य विभिन्न जल-सम्बन्धी कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए $7.1 बिलियन की धनराशि अतिरिक्त सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के रूप नहीं बेच सका। इसके अलावा $425 मिलियन की धनराशि संसाधन-सम्बन्धी उपयोगों के लिए मतदाताओं के द्वारा पहले ही मंजूर अविक्रित सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के रूप में उपलब्ध रहेगी।

तर्क

समर्थन में तर्क

प्रस्ताव 1 फार्मों, व्यवसायों और समुदायों के लिए, विशेषकर सूखों के दौरान पानी की एक विश्वसनीय आपूर्ति उपलब्ध कराता है। यह आर्थिक विकास का समर्थन करता है और पर्यावरण की सुरक्षा करता है। यह वित्तीय रूप से जिम्मेदार है, राज्य की व्यापक जल योजना के द्वारा निर्देशित है और करों में वृद्धि नहीं करता है। डेमोक्रैट्स और रिपब्लिकंस सहमत हैं: प्रस्ताव 1पर हाँ में मतदान करें!

विपक्ष में तर्क

California प्रस्ताव 1 का अनुपयुक्त खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सूखे से राहत देने या क्षेत्रीय जल आत्म-निर्भरता में सुधार करने के लिए बहुत कम काम करता है। इससे हमारी नदियों और धाराओं को खतरा है। निजी जल प्रयोक्ता इन बांधों के दाम नहीं चुकायेंगे; न ही करदाताओं को चुकाने चाहियें। प्रस्ताव 1 स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल, सड़कों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए वित्तपोषण राशि को बर्बाद करता है। नहीं में मतदान करें!

अतिरिक्त जानकारी के लिए

पक्ष में
Tom Willis
Yes on Propositions 1 and 2
2355 Broadway #407
Oakland, CA 94612
(510) 210-5001
INFO@YesonProps1and2.com
YesonProps1and2.com

खिलाफ
प्रस्ताव 1 पर नहीं में मतदान करें
(209) 475-9663
info@NoonProp1.org
www.NoonProp1.org

पूरक मतदाता मार्गदर्शिका

इस मार्गदर्शिका में प्रस्ताव 1 के बारे में जानकारी दी गयी है, जिसे पहली मार्गदर्शिका के छप जाने के बाद मतपत्र में जोड़ा गया था।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट देखने के लिए निम्न पर जाएं:

- अनुसंधान अभियान सम्बन्धी योगदान और लॉबींग गतिविधि
  http://cal-access.sos.ca.gov
- दूसरी भाषाओं में यह मतदाता मार्गदर्शिका देखें
  www.voterguide.sos.ca.gov
- चुनाव के दिन अपने मतदान स्थल का पता करें
  www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm
- डाक-द्वारा-मतदान के मतपत्र सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें
  www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm
- पहली-बार वाले मतदाताओं के लिए उपयोगी जानकारी पढ़ें
  www.sos.ca.gov/elections/new-voter
- चुनाव के दिन मतदान बंद हो जाने के बाद चुनाव नतीजों का सीधा प्रसारण देखें
  http://vote.sos.ca.gov

राज्यव्यापी उम्मीदवारों और मतपत्र विधेयकों के लिए शीर्ष योगदानकर्ता

जब कोई समिति किसी मतपत्र विधेयक या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करती है और कम से कम $1 मिलियन जुटाती है, तो समिति को अपने शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं के बारे में California निष्पक्ष राजनीतिक कार्य-व्यवहार आयोग (FPPC) को रिपोर्ट करना चाहिये। कोई बदलाव होने पर समिति को शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं की सूची को अद्यतन करना चाहिये। ये सूचियां *www.fppc.ca.gov/top10Nov2014* या *www.fppc.ca.gov/candidateNov2014* पर FPPC वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्रस्ताव 1 जल बॉण्ड। जल गुणवत्ता, जलापूर्ति, जलोपचार और जल भंडारण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार किया गया**

जल बॉण्ड। जल गुणवत्ता, जलापूर्ति, जलोपचार और जल भंडारण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण।

- राज्य के बुनियादी जलापूर्ति ढाँचे से सम्बन्धित परियोजनाएं, जैसे कि सतही और भूमिगत जल भंडारण; पारिस्थितिक तंत्र यानि ईकोसिस्टम और वाटरशेड संरक्षण तथा बहाली; पेय जल संरक्षण; जलापूर्ति प्रबंधन; जल रीसाइकिलिंग और उन्नत जल प्रशोधन प्रौद्योगिकी; और बाढ़ नियंत्रण के लिए सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के रूप में 7.12 बिलियन डॉलर की धनराशि अधिकृत करता है।
- पूर्व जल बॉण्ड अधिनियमों में से 425 मिलियन डॉलर की अप्रयुक्त बॉण्ड अधिकृति को इन्हीं लक्ष्यों हेतु पुनर्निधारित करता है।
- बॉण्ड्स की चुकौती के लिए सामान्य कोष से पैसे हासिल करता है।
- बॉण्ड से निधियाँ प्राप्त करने के लिए कुछ परियोजनाओं को गैर-राजकीय स्रोतों से समान निधियाँ जुटाने की आवश्यकता रखता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- अगले 40 वर्षों में राज्य बॉण्ड की चुकौती की लागतों में औसतन सालाना 360 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई।
- सम्भावना है कि अगले कुछ दशकों में स्थानीय सरकारों को जल परियोजनाओं से सम्बन्धित बचत औसतन सालाना कुछ सौ मिलियन डॉलर होगी।

राज्य बॉण्ड लागतों के अनुमान	
नया अधिकृत उधार	$7.1 बिलियन
बॉण्ड्स को चुकता करने की औसत वार्षिक लागत	$360 मिलियन
अदायगी की सम्भावित अवधि	40 वर्ष
अदायगी का स्रोत	सामान्य टैक्स राजस्व

विधानमंडल द्वारा AB 1471 (प्रस्ताव 1) पर डाले गए अंतिम वोट
(अध्याय 188, 2014 का अधिनियम)

सीनेट:	हाँ 37	नहीं 0
विधानसभा:	हाँ 77	नहीं 2

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

California में पानी के स्रोत। राज्य का अधिकांश पानी नदियों से आता है, इसमें से अधिकतर उत्तरी California से और Sierra Nevada पर्वतों में जमा बर्फ से आता है। भूमि के नीचे उपलब्ध पानी (जिसे "भूजल" के रूप में उल्लिखित किया जाता है) मौटे तौर पर राज्य के एक तिहाई जल उपयोग की पूर्ति करता है और सूखे के वर्षों में इस पर बहुत अधिक भरोसा किया जाता है। राज्य के पानी का एक छोटा भाग दूसरे स्रोतों, जैसे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना, अपशिष्ट जल को बर्बादी से रोकना (पानी को पुन: उपयोग के लायक बनाना यानि वाटर रीसाइकिलिंग), और समुद्री पानी से नमक हटाना (विलवणीकरण) से भी आता है।

राज्य की पानी की ज़रूरतों को पूरा करना। पर्यावरण की रक्षा करते हुए समूचे California में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं। पहली, ज़रूरत की जगह पानी हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी California से पानी राज्य के दूसरे हिस्सों, जैसे कि Central Valley में खेती की भूमि और San Francisco खाड़ी क्षेत्र तथा दक्षिणी California के जनसंख्या केंद्रों के लिए पहुँचाया जाता है। दूसरी, उपलब्ध पानी की मात्रा में साल दर साल व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। इसलिए, जब सूखे के वर्षों में कम पानी उपलब्ध होता है, तो राज्य भर में लोगों की इच्छानुसार पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है। इसमें प्राकृतिक आवासों—जैसे कि राज्य और संघीय कानून के तहत आवश्यक होने के नाते लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए—जलमय भूमि को बनाये रखने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना शामिल हो सकता है। हालांकि, बहुत बारिश वाले वर्षों में राज्य को, विशेष रूप से Central Valley को कभी-कभी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी, कभी-कभी पानी प्रदूषित हो जाता है, जिससे वह पीने, फसलों की सिंचाई करने, या मछलियों के प्राकृतिक आवास के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। चौथी, राज्य की जल प्रणाली के कुछ हिस्सों ने प्राकृतिक आवास स्थानों को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, पीने और सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध कराने से मछलियों के लिए उपलब्ध पानी कम हो गया है।

इन चुनौतियों को हल करने के लिए California ने विभिन्न परियोजनायें निर्मित की हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में—राज्य भर में पीने के लिए और खेती के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी को पहुँचाने के लिए प्राकृतिक नदियों—के साथ-साथ पाइपलाइनों, पम्पिंग स्टेशनों, और नहरों का उपयोग किया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स में बाँध और आवश्यकतानुसार पानी को रोक रखने के लिए जल भंडारण के अन्य प्रकार भी शामिल हैं। राज्य की पानी की चुनौतियों को पूरा करने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स में पेय जल और अपशिष्ट जल से प्रदूषकों को हटाने

के लिए जल प्रशोधन संयंत्र, तूफानों में बह जाने वाले पानी को साफ करने की प्रणालियां, और बाढ़ रोकने के लिए तटबंध शामिल हैं।

पर्यावरण और जल व्यवस्था जुड़े हुए हैं। राज्य की जल व्यवस्था और पर्यावरण कई तरह से जुड़े हुए हैं। जैसा ऊपर बताया गया है, सिंचाई और पेय जल के लिए पानी का उपयोग मछलियों और वन्य जीवों के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले प्राकृतिक आवासों को प्रभावित करता है। प्राकृतिक आवासों पर ये प्रभाव प्रदूषण के द्वारा बदतर बना दिये जाते हैं, जोकि मछलियों, वन्य जीवों, और लोगों के लिए पानी की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाता है। राज्य ने प्राकृतिक आवासों और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यवाहियां की हैं। इनमें देशी पौधों और जानवरों का फिर से उपयोग करके जल विभाजकों यानि वाटरशेड्स (जमीन का ऐसा क्षेत्र जिसका पानी नालियों के द्वारा किसी जल निकाय में चला जाता है) को बहाल करना शामिल है। राज्य ने मछली की प्रजातियों की आवश्यकता के अनुसार नदियों को पानी भी उपलब्ध कराया है।

पानी की व्यवस्था में विभिन्न सरकारों की भूमिकायें। स्वच्छ और विश्वसनीय जल आपूर्तियां उपलब्ध कराने में राज्य, संघीय, और स्थानीय सरकारें महत्वपूर्ण भूमिकायें निभाती हैं। राज्य में जल कार्यक्रमों पर सबसे अधिक खर्च स्थानीय स्तर पर, जैसे कि वाटर डिस्ट्रिक्ट्स, शहरों, और काउंटियों के द्वारा किया जाता है। हाल के वर्षों में, पानी की आपूर्ति करने और अपशिष्ट जल का प्रशोधन करने के लिए स्थानीय सरकारों ने प्रति वर्ष लगभग $26 बिलियन की राशि खर्च की है। इस खर्च का लगभग 80 प्रतिशत लोगों के द्वारा पानी और सीवर बिलों के करदाताओं के रूप में चुकाया जाता है। इसके अलावा, स्थानीय सरकारें राजकीय निधियों, संघीय निधियों, और स्थानीय करों सहित अन्य स्रोतों का उपयोग प्रोजेक्ट्स के दाम चुकाने के लिए करती हैं। हालांकि अधिकतर लोगों को इन सार्वजनिक जल संस्थाओं से पानी की प्राप्ति होती है, लेकिन California वासियों की आबादी के लगभग छठे भाग को उनका पानी निजी जल कम्पनियों से मिलता है।

राज्य निम्नलिखित के लिए कार्यक्रम चलाता है: (1) पानी को संरक्षित करना, भंडारित करना, और राज्य में हर ओर उसे परिवहन के जरिये पहुँचाना; (2) पानी की गुणवत्ता की रक्षा करना; (3) बाढ़ नियंत्रण प्रदान करना; और (4) मछलियों और वन्य जीवों के निवास स्थान की रक्षा करना। राज्य इन कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष खर्च के अलावा स्थानीय सरकारों, लाभेतर संगठनों, और निजी स्वामित्व वाली जल कम्पनियों को अनुदानों और ऋणों के जरिये सहायता प्रदान करता है। (संघीय सरकार इसी तरह के कार्यक्रम चलाती है।) राज्य के इन कार्यक्रमों के लिए धनराशि आमतौर पर बॉण्ड्स और शुल्क से आती है। 2000 के बाद से, मतदाताओं ने पानी सहित विभिन्न पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए बॉण्ड्स के रूप में लगभग $20 बिलियन की धनराशि मंजूर की है। वर्तमान में, इन बॉण्ड्स की लगभग $900 मिलियन की धनराशि (5 प्रतिशत) नये प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध रहती है।

प्रस्ताव

यह विधेयक पानी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सामान्य दायित्व बॉण्ड्स के रूप में कुल $7.5 बिलियन की धनराशि प्रदान करता है। पहला, यह विधेयक राज्य को $7.1 बिलियन की धनराशि अतिरिक्त बॉण्ड्स के रूप में बेचने की अनुमति देता है। दूसरा, यह विधेयक $425 मिलियन की धनराशि ऐसे बिना बिके बॉण्ड्स में पुनर्निर्देशित करता है जिसके लिए मतदाताओं ने पानी और दूसरे पर्यावरणीय उपयोगों हेतु पहले मंजूरी दे दी थी। राज्य ब्याज के साथ, इन बॉण्ड्स की अदायगी, राज्य की सामान्य निधि का उपयोग करके करता है। (सामान्य निधि राज्य का मुख्य परिचालन खाता है, जो शिक्षा, जेलों, स्वास्थ्य देखभाल, और दूसरी सेवाओं के लिए भुगतान करता है।)

धनराशियों के उपयोग

जैसा आकृति 1 (अगला पृष्ठ देखें) में प्रदर्शित और नीचे वर्णित किया गया है, बॉण्ड विधेयक निम्नलिखित के लिए धनराशि उपलब्ध कराता है: (1) पानी की आपूर्तियां बढ़ाना, (2) जल विभाजकों की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना, (3) पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना, और (4) बाढ़ सुरक्षा में वृद्धि करना। बॉण्ड का पैसा राजकीय एजेंसियों को विभिन्न प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों के लिए, साथ ही स्थानीय सरकारों, निजी जल कम्पनियों, पारस्परिक जल कम्पनियों (जहाँ पानी के उपयोगकर्ता कम्पनी के मालिक हैं), इंडियन जनजातियों, और लाभेतर संगठनों को ऋणों और अनुदानों के लिए उपलब्ध होगा।

जल आपूर्तियों के लिए धनराशियां ($4.2 बिलियन)। लगभग $4.2 बिलियन की धनराशि उपयोग हेतु अधिक पानी उपलब्ध कराने के लिए, जल आपूर्तियों में सुधार लाने हेतु नियोजित प्रोजेक्ट्स का वित्तपोषण करेगी। विशिष्ट रूप से, बॉण्ड में शामिल है:

- ***नये जल भंडारण के लिए $2.7 बिलियन।*** बॉण्ड में नये जल भंडारण प्रोजेक्ट्स, जिनमें बाँध और भूजल की पुन: पूर्ति करने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, की आधी लागत तक का भुगतान करने के लिए $2.7 बिलियन की धनराशि शामिल है। इस धनराशि का उपयोग केवल निवास बहाल करने, पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने, बाढ़ों से होने वाले नुकसान को कम करने, आपातकालीन स्थितियों से निबटने, और मनोरंजन में सुधार लाने सहित जल भंडारण प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए "सार्वजनिक लाभों" से सम्बन्धित लागतों को वहन करने के लिए ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकारें और ऐसी दूसरी संस्थायें जो जल भंडारण प्रोजेक्ट पर भरोसा करती हैं, प्रोजेक्ट की बाकी लागतें अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगी। इन लागतों के साथ आमतौर पर निजी लाभ भी जुड़े होंगे (जैसे कि अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाने वाला पानी)।
- ***क्षेत्रीय जल परियोजनाओं के लिए $810 मिलियन।*** बॉण्ड में ऐसे क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए भी $810 मिलियन का प्रावधान है जो स्थानीय समुदायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं में शामिल हैं। इन योजनाओं का मंतव्य जल आपूर्तियों में सुधार लाना, और साथ ही दूसरे लाभ, जैसे कि मछलियों के लिए आवास और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है । प्रदान की जाने वाली राशि में राज्य भर में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आबंटनों हेतु $510 मिलियन और विशिष्ट प्रकार की जल आपूर्तियों के लिए $300 मिलियन शामिल हैं, जिनमें शहरी इलाकों में तूफानों में बह जाने वाले पानी का प्रबंधन करने के प्रोजेक्ट्स और उनकी योजनायें तथा जल संरक्षण प्रोजेक्ट और कार्यक्रम शामिल हैं।
- ***जल रीसाइकिलिंग के लिए $725 मिलियन।*** बॉण्ड में ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, $725 मिलियन की राशि शामिल है, जो अपशिष्ट जल यानि गंदे पानी या समुद्री पानी का प्रशोधन करते हैं ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए, धनराशियों का उपयोग नयी प्रशोधन तकनीक का परीक्षण करने, विलवणीकरण संयंत्र का निर्माण करने, और रीसाइकिल किये हुए पानी को पहुँचाने के लिए पाइपों का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है।

जलविभाजकों यानि वाटरशेड्स की रक्षा करने और उन्हें बहाल करने के लिए धनराशियां ($1.5 बिलियन)। ये धनराशियां राज्य भर में जलविभाजकों

प्रस्ताव 1 के पूरे मूलपाठ के लिए, पृष्ठ 14 देखें।

यानि वाटरशेड्स और अन्य प्राकृतिक वास की रक्षा करने और उन्हें बहाल करने के उद्देश्य से चलाये जाने वाले प्रोजेक्ट्स का वित्तपोषण करेंगी। इस धनराशि का उपयोग ऐसे जल निकायों को बहाल करने के लिए जो मछलियों और वन्य जीवों की देशी, संकटग्रस्त, या विलुप्तप्राय प्रजातियों को सहारा देते हों; संरक्षण के उद्देश्यों के लिए भूमि खरीदने के लिए; जलविभाजकों यानि वाटरशेड्स में जंगली आग के जोखिम को कम करने के लिए; और वन्य जीवों की सहायता हेतु पानी खरीदने के लिए किया जा सकता है। इन धनराशियों में राज्य भर के निर्दिष्ट क्षेत्रों में जलविभाजकों यानि वाटरशेड्स को बहाल करने के लिए $515 मिलियन (जिसमें Sacramento-San Joaquin डेल्टा [डेल्टा] के प्रोजेक्ट्स के लिए विशिष्ट रूप से $140 मिलियन शामिल है) और पर्यावरणीय पुनर्स्थापनाओं के वित्तपोषण हेतु राज्य की कुछ प्रतिबद्धताओं के दाम चुकाने के लिए $475 मिलियन डॉलर की राशि शामिल है। बाकी धनराशि ऐसे कार्यक्रमों के राज्यव्यापी आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जो प्राकृतिक वास और जलविभाजकों यानि वाटरशेड्स को बहाल करते हों ($305 मिलियन) और नदियों व धाराओं में बहने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाते हों, उदाहरण के लिए पानी खरीद कर ($200 मिलियन)।

भूजल और सतही जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए धनराशियां ($1.4 बिलियन)। बॉण्ड में भूजल और सतही जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए $1.4 बिलियन से भी अधिक की राशि शामिल है। इस धनराशि का आधे से भी अधिक हिस्सा ($800 मिलियन) ऐसे प्रदूषित भूजल को साफ करने व रोकने के प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग में लाया जायेगा जो पेय जल का एक स्रोत है, या रहा है। बाकी धनराशियां (1) स्वच्छ पेय जल की सुलभता में सुधार लाने ($260 मिलियन), (2) छोटे समुदायों की अपशिष्ट जल प्रशोधन के दाम चुकाने में मदद करने ($260 मिलियन), और (3) स्थानीय सरकारों को उनकी भूजल आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए योजनाओं को तैयार करने व उन्हें लागू करने के लिए ($100 मिलियन) उपलब्ध होंगी।

बाढ़ सुरक्षा के लिए धनराशियां ($395 मिलियन)। बॉण्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो राज्य की बाढ़ से रक्षा करते हों और मछलियों व वन्य जीवों के प्राकृतिक वास में सुधार लाते हों, $395 मिलियन प्रदान करता है। इस धनराशि में से $100 मिलियन जहाँ राज्य में कहीं पर भी बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट्स पर खर्च किये जा सकते हैं, वहीं $295 मिलियन तटबंधों में सुधार लाने या डेल्टा में बाढ़ सम्बन्धी आपातस्थितियों में जवाबी कार्यवाही करने के लिए अलग रख दिये जाते हैं।

धनराशियों को आबंटित करने और उन्हें खर्च करने के लिए आवश्यकतायें

प्रोजेक्ट्स का चयन किस प्रकार किया जायेगा। विधेयक में ऐसे कई प्रावधान शामिल हैं जो विशिष्ट प्रोजेक्ट्स के बॉण्ड निधियां प्राप्त करने हेतु चुने जाने के ढंग को प्रभावित करेंगे। California जल आयोग—जो एक मौजूदा राजकीय योजना व नियामक एजेंसी है—इसका चयन करेगा कि बॉण्ड में उस उपयोग के लिए प्रदत्त $2.7 बिलियन से कौनसे जल भंडारण प्रोजेक्ट्स का वित्तपोषण

आकृति 1

प्रस्ताव 1 की बॉण्ड निधियों के उपयोग

(*मिलियन में*)	
जल आपूर्ति	**$4,235**
• बांध और भूजल भंडारण—लागत का हिस्सा सार्वजनिक लाभों के साथ संबद्ध।	$2,700
• जल-सम्बन्धी विविध सुधार हासिल करने के लिए क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स (जिनमें संरक्षण और बारिश के पानी का अभिग्रहण शामिल हैं)।	810
• अलवणीकरण सहित पानी की रीसाइकिलिंग।	725
जलविभाजक यानि वाटरशेड संरक्षण और उनकी बहाली	**$1,495**
• राज्य के चारों ओर निर्दिष्ट क्षेत्रों में जलविभाजक यानि वाटरशेड बहाली और प्राकृतिक वास संरक्षण।	$515
• पर्यावरणीय प्रतिस्थापनाओं के लिए राज्य की कुछ प्रतिबद्धतायें।	475
• राज्यव्यापी आवेदकों के लिए उपलब्ध बहाली कार्यक्रम।	305
• नदियों और धाराओं में जल के प्रवाह को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स।	200
भूजल और सतह के जल की गुणवत्ता में सुधार	**$1,420**
• भूजल प्रदूषण की रोकथाम और सफाई।	$800
• वंचित समुदायों के लिए पेय जल सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स।	260
• छोटे समुदायों में अपशिष्ट जल प्रशोधन।	260
• भूजल का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय योजनायें और प्रोजेक्ट्स।	100
बाढ़ सुरक्षा	**$395**
• डेल्टा में तटबंधों की मरम्मत और सुधार।	$295
• राज्य में चारों तरफ बाढ़ सुरक्षा।	100
कुल	**$7,545**

किया जायेगा। आयोग को इन धनराशियों को खर्च करने के लिए राज्यकी बजट प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इस विधेयक में प्रदान की जाने वाली अन्य सभी धनराशियों के लिए, विधानमंडल सामान्यतया सालाना तौर पर राज्य की बजट प्रक्रिया में राज्य की एजेंसियों के लिए पैसे का आबंटन करेगा। हालांकि विधानमंडल राज्य की एजेंसियों को इस बाबत कुछ निर्देश प्रदान कर सकता है कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स या कार्यक्रमों का चयन किया जा सकता है, लेकिन विधेयक के अनुसार विधानमंडल विशिष्ट प्रोजेक्ट्स के लिए धन का आबंटन नहीं कर सकता है। इसके बजाय, राज्य की एजेंसियां प्रोजेक्ट्स का चुनाव करेंगी। इसके अलावा, विधेयक में किसी भी धनराशि का उपयोग डेल्टा के चारों तरफ पानी ले जाने के लिए किसी नहर या सुरंग का निर्माण करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

मिलान निधियों के लिए आवश्यकतायें। विधेयक के द्वारा उपलब्ध करायी गयी $7.5 बिलियन की धनराशियों में से, $5.7 बिलियन डॉलर की राशि केवल उस दशा में उपलब्ध है अगर प्राप्तकर्ता—अधिकतर स्थानीय सरकारें—प्रोजेक्ट्स की सहायता करने के लिए धन प्रदान करें। यह मिलान सम्बंधी आवश्यकता केवल विधेयक के द्वारा वित्तपोषित जल आपूर्ति और जल की गुणवत्ता सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स के लिए ही लागू होती है। मिलान निधियों का आवश्यक हिस्सा सामान्यतया कम से कम प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50 प्रतिशत होता है, हालांकि कुछ मामलों में इसे छोड़ा या कम किया जा सकता है।

राजकोषीय प्रभाव

राज्य सरकारों पर राजकोषीय प्रभाव। यह विधेयक राज्य को सामान्य दायित्व के अतिरिक्त निवेशकों को बॉण्ड्स बेच कर $7.1 बिलियन तक की राशि उधार लेने की अनुमति देगा, जिनकी ब्याज सहित अदायगी राज्य के सामान्य कर राजस्व राशियों का उपयोग करके की जायेगी। हमारा मानना है कि (1) बॉण्ड्स के लिए ब्याज दर औसतन बस 5 प्रतिशत से कुछ ही ऊपर होगी, (2) उन्हें अगले दस वर्षों में बेचा जायेगा और (3) उनकी अदायगी 30 वर्ष की अवधि में होगी। इन धारणाओं पर आधारित, करदाताओं के लिए बॉण्ड्स चुकता करने की लागत**अगले 40 वर्षों में औसतन लगभग $360 मिलियन सालाना होगी**। यह राशि राज्य के वर्तमान सामान्य निधि बजट के एक प्रतिशत की लगभग एक तिहाई है। हमारा मानना है कि पहले से मंजूर विधेयकों से $425 मिलियन की राशि को अविक्रित बॉण्ड्स में पुनर्निर्देशित करने से राज्य के प्रत्याशित ऋण भुगतानों में वृद्धि नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि, इस विधेयक के बिना, ये बॉण्ड्स सम्भवतया भविष्य में दूसरे प्रोजेक्ट्स की सहायता करने के लिए बेच दिये गये होते। (राज्य के द्वारा बॉण्ड्स का उपयोग और राज्य के बजट पर इस प्रस्तावित बॉण्ड विधेयक के प्रभाव के विषय पर और अधिक जानकारी के लिए, इस मार्गदर्शिका में बाद में दिया गया "राज्य बॉण्ड ऋण का संक्षिप्त विवरण" देखें।)

स्थानीय सरकारों पर राजकोषीय प्रभाव। स्थानीय जल प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य बॉण्ड निधियों की उपलब्धता इसे प्रभावित करेगी कि स्थानीय सरकारें, प्राथमिक रूप से जल एजेंसियां, जल प्रोजेक्ट्स पर कितना खर्च करती हैं। बहुत से मामलों में, राज्य बॉण्ड निधियों की उपलब्धता स्थानीय खर्च को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, ऐसा उन मामलों में होगा जहाँ पर राज्य बॉण्ड निधियों ने उस पैसे का स्थान ले लिया है जो स्थानीय सरकारें प्रोजेक्ट्स पर वैसे भी खर्च करतीं। स्थानीय बचत ऐसे मामलों में भी होगी जहाँ पर राज्य बॉण्ड निधियों की उपलब्धता ने स्थानीय सरकारों को ऐसे प्रोजेक्ट्स निर्मित करने की अनुमति दी जिनकी वजह से परिचालन लागतों में कमी आयी, जैसे कि दक्षता को बढ़ा कर या ऐसे नये जल स्रोत का उपयोग करके जिसकी वजह से वे कम पानी खरीद पाये।

फिर भी, कुछ मामलों में, राज्य बॉण्ड निधियों के कारण स्थानीय सरकारों के द्वारा जल प्रोजेक्ट्स पर किये जाने वाले खर्च में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, राज्य बॉण्ड निधियों की उपलब्धता कुछ स्थानीय सरकारों को ऐसे अतिरिक्त या काफी बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है जो वे अन्यथा नहीं करतीं। इन प्रोजेक्ट्स का परिचालन अधिक महंगा भी हो सकता है।

सभी पहलुओं पर विचार करने पर, हमारा अनुमान है कि इस विधेयक से स्थानीय सरकारों को जल सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स पर बचत होगी। ये बचत अगले कुछ दशकों में सम्भवतया औसतन कुछ सौ मिलियन डॉलर सालाना होंगी।

स्थानीय सरकार इन बचत का विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए, वह बचत का उपयोग दूसरी नयी सुविधाओं को निर्मित करने के लिए या मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव और उनकी मरम्मत के लिए कर सकती है। अन्य मामलों में, सरकार बचत का उपयोग भावी दर वृद्धियों में देरी करके या उन्हें कम करके पानी की दरों को उनके अन्यथा होने की तुलना में कम रखने के लिये कर सकती है। चूँकि किसी निर्धारित वर्ष में राज्यव्यापी बचत की राशि, स्थानीय सरकारों के द्वारा पानी पर समग्र रूप से खर्च की जाने वाली राशि की तुलना में सम्भवतया कम होगी, इसलिए अधिकतर करदाताओं के लिए दरों पर प्रभाव सम्भवतया थोड़ा ही होगा।

इस प्रतिस्पर्धा में दिये गये पैसे के योगदान के बारे में विवरण के लिए *http://cal-access.sos.ca.gov* देखें।

प्रस्ताव 1 के पूरे मूलपाठ के लिए, पृष्ठ 14 देखें।

★ प्रस्ताव 1 के पक्ष में तर्क ★

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों की रक्षा करते हुए—गम्भीर सूखे के दौरान खेतों और व्यवसायों के लिए एक विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

California कई वर्षो से गम्भीर सूखे की चपेट में है और इसका जल सम्बन्धी बुनियादी ढाँचा पुराना हो चुका है। यही कारण है कि रिपब्लिकंस व डेमोक्रैट्स और पूरे California से लीडर्स इस वित्तीय रूप से जिम्मेदार विधेयक को मतपत्र पर रखने के लिए लगभग एकमत होते हुए एक साथ आये।

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान राज्य की एक व्यापक जल योजना का समर्थन करता है।

• सभी समुदायों के लिए सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराता है • जल भंडारण क्षमता का विस्तार करता है • सुनिश्चित करता है कि हमारे खेतों और व्यवसायों को सूखे के वर्षों के दौरान उनकी ज़रूरत के अनुसार पानी मिले • सूखे के लिए प्रबंधन करता है और तैयारी करता है • जल संरक्षण, रीसाइकिलिंग और बेहतर स्थानीय जल आपूर्तियों में निवेश करता है • बाढ़ सुरक्षा में वृद्धि करता है • भूजल सफाई का वित्तपोषण करता है • प्रदूषित नदियों और धाराओं की सफाई करता है • मछलियों और वन्य जीवों के लिए पर्यावरण को बहाल करता है

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान वित्तीय रूप से जिम्मेदारीपूर्ण है

प्रस्ताव 1 से करों में वृद्धि नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में एक तामझाम-रहित ऐसा निवेश है जो बैंक को दिवालिया नहीं बनाता है—यह तो बल्कि पैसे का बेहतर उपयोग करने के लिए अप्रयुक्त बॉण्ड्स से पैसे को पुन: आबंटित करता है।

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान CALIFORNIA की अर्थव्यवस्था को विकसित करता है

California की अर्थव्यवस्था एक विश्वसनीय जल आपूर्ति पर निर्भर करती है। प्रस्ताव 1 हमारे जल सम्बन्धी भविष्य को सुरक्षित करता है, हमारे परिवार के खेतों और व्यवसायों को उपजाऊ यानि लाभकारी रखता है, और California वासियों को ऐसी नयी सुविधाओं को निर्मित करने हेतु काम करने में लगाता है जिनकी पानी का भंडारण करने, उसे पहुँचाने, और उसका प्रशोधन करने के लिए हमें ज़रूरत है।

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान हमारी मौजूदा जल आपूर्तियों को सुरक्षित रखता है

प्रस्ताव 1 हमारे दूषित भूजल को साफ करेगा जो ऐसे वर्षों में, जब पर्याप्त बारिश न हो या बर्फ नहीं पड़े, अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा कर सूखे के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में काम करता है।

प्रस्ताव 1 हमारी मौजूदा आपूर्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए पानी की रीसाइकिलिंग और दक्षता सम्बंधी सुधारों को विस्तार देता है।

प्रस्ताव 1 ऐसे समुदायों में जहाँ पर पानी दूषित है, स्वच्छ पेय जल के लिए धन उपलब्ध कराता है।

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान हमारे पास पानी होने की दशा में उसका भंडारण करता है

प्रस्ताव 1 सूखे के वर्षों के लिए, जोकि California को चुनौती देते रहेंगे, अच्छी बारिश के वर्षों के दौरान भंडारित किये जा सकने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाते हुए नये जल भंडारण में निवेश करता है।

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान पर्यावरण की रक्षा करता है

प्रस्ताव 1 California की नदियों, झीलों, और धाराओं की प्रदूषण और दूषण से रक्षा करता है और हमारे मछलियों व वन्य जीवों से सम्बन्धित संसाधनों की बहाली को सम्भव बनाता है।

प्रस्ताव 1 में सख्त जवाबदेही सम्बन्धी आवश्यकतायें निहित हैं जिनमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा सही खर्च किया जाये, वार्षिक ऑडिट, निगरानी और सार्वजनिक प्रकटीकरण शामिल हैं।

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान का समर्थन-रिपब्लिकंस, डेमोक्रैट्स, किसानों, स्थानीय जल आपूर्तिकर्ताओं, संरक्षण समूहों, व्यापार, और समुदाय के लीडर्स के द्वारा किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

• संयुक्त राज्य सीनेटर Dianne Feinstein • संयुक्त राज्य सीनेटर Barbara Boxer • ऑडुबॉन California • California चैम्बर ऑफ कॉमर्स • डेल्टा काउंटी गठबंधन • Los Angeles एरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स • Ducks अनलिमिटेड • अमेरिकन रिवर्स • Silicon Valley लीडरशिप ग्रुप • Friant जल प्राधिकरण • San Diego जल प्राधिकरण • दक्षिणी California की महानगरीय वाटर डिस्ट्रिक्ट • प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा काउंसिल • नदर्न California वाटर एसोसिएशन • California राज्य भवन एवं निर्माण व्यापार काउंसिल • एसोसिएशन ऑफ California वाटर एजेन्सीज • Fresno सिंचाई डिस्ट्रिक्ट • वेस्टर्न ग्रोवर्स

Edmund G. Brown Jr., गवर्नर
Paul Wenger, प्रेसिडेंट
California फार्म ब्यूरो फेडेरेशन
Mike Sweeney, California निदेशक नेचर कंजर्वेसी

★ प्रस्ताव 1 के पक्ष में तर्क का खंडन ★

कृपया प्रस्ताव 1 पर नहीं में मतदान करें

California के जल उपयोग को और अधिक कुशल बनाने, हमारी पुरानी और रिसती हुई जल प्रणाली को ठीक करने और हमारे भूजल की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, प्रस्ताव 1, 2.7 बिलियन डॉलर व ब्याज की लागत पर और अधिक बांधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बांध California की जल आपूर्ति में केवल 1% की वृद्धि करेंगे और दशकों तक ये प्रयोग के योग्य नहीं होंगे।

हमें और अधिक पानी अब चाहिये, न कि सुदूर भविष्य में। ऐसा करने का सबसे जल्दी का और सबसे कम मंहगा तरीका है—हमारी मौजूदा जल आपूर्ति का बेहतर उपयोग करें और तत्काल लम्बी-अवधि के रोजगार के अवसर पैदा करें।

प्रस्ताव 1 करदाताओं के लिए अनुचित है। अगर वे लोग, जो पानी से लाभांवित होंगे और उसका उपयोग करेंगे, बांधों का दाम नहीं चुकायेंगे, तो फिर करदाता इन बांधों के लिए ऋण अदा करने के साथ क्यों अटकें?

प्रस्ताव 1 सूखा राहत के लिए थोड़ा-सा ही करता है, क्षेत्रीय जल आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने में, या पहले से ही पानी से वंचित डेल्टा पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता को कम करने में विफल है।

मंहगे नये बांध लम्बे समय तक चलने वाले सूखे और घटे हुए प्रवाह के समय पर Trinity, Klamath और Sacramento नदियों से नये पानी को दूसरे मार्ग पर ले जाने के लिए दवाब बढ़ायेंगे। ये नदियां संकटग्रस्त सेमन मछली के लिए, जोकि समूचे California और पूरे पश्चिमी तट के लिए महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण प्राकृतिक वास हैं।

प्रस्ताव 1:

- पर्यावरण, हमारी नदियों और हमारी सेमन मछली के लिए खराब है;
- नये आवश्यक पानी का उत्पादन इस समय नहीं करता है जबकि लम्बे समय से चले आ रहे सूखे के बीच में हमें इसकी ज़रूरत है;
- करदाताओं के लिए अनुचित है; और
- California के लिए एक खराब सौदा है।

प्रस्ताव 1 पर नहीं में मतदान करने में हमारे साथ शामिल हों

असेम्बली सदस्य **Wesley Chesbro,** चेयरमैन
प्राकृतिक संसाधन समिति
Adam Scow, California निदेशक
खाद्य एवं जल चौकसी
Zeke Grader, कार्यकारी निदेशक पैसिफिक कोस्ट फेडेरेशन ऑफ फिशरमेंस एसोसिएशंस

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं, और उन्हें शुद्धता के लिए किसी भी आधिकारिक एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

★ प्रस्ताव 1 के खिलाफ तर्क ★

हालांकि प्रस्ताव 1 में बहुत सी अच्छी बाते हैं: जल संरक्षण, दक्षता पुन: उपयोग और रीसाइकिलिंग व साथ ही हमारे जलविभाजकों यानि वाटरशेड्स की बहाली, लेकिन इसमें California के लोगों के लिए लाभ की तुलना में गम्भीर खामियां अधिक हैं।

विधानमंडल द्वारा पारित और गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित जल बॉण्ड में बहुत से आकर्षक तत्व हैं, लेकिन अंततः यह बॉण्ड विधेयक California के लोगों के लिए एक बुरी खबर है।

प्रस्ताव 1 गलत ढंग से और अधिक बांध निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कुल $7.5 बिलियन की एक तिहाई से भी अधिक राशि सतही भंडारण के लिए निर्धारित की गयी है, जिसका अमूमन निश्चित तौर पर मतलब होगा नये बांध—Trinity, Klamath, Sacramento नदियों सहित उत्तरी California की नदियों से पानी को और अधिक पम्प करने के लिए दबाव बढ़ाना तथा और अधिक पानी को दूसरे मार्ग पर ले जाना। ऐसे समय में जब एक गम्भीर और लम्बे समय तक चलने वाले सूखे के कारण मौजूदा बर्फ के पिंडों में काफी कमी आयी है, यह उन्हें बहुत बड़े जोखिम में डाल देता है।

इसके अलावा, कल्पित नये बांधों के लिए निर्धारित $2.7 बिलियन नये जल का उत्पादन नहीं करेंगे। California में सर्वाधिक लाभकारी और लागत-प्रभावी बांध स्थल पहले से ही विकसित किये जा चुके हैं। प्रस्ताव 1 के नये बांध सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स California की कुल जल आपूर्ति में 1% के जितनी थोड़ी सी वृद्धि करेंगे, जबकि उनका निर्माण करने में लगभग $9 बिलियन की लागत आयेगी। ये बांध दशकों तक भी प्रयोग करने योग्य नहीं होंगे।

जल भंडारण सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्रमुख ऐतिहासिक विचलन के तौर पर, इन नये बांधों और जलाशयों की लागतों का भुगतान राज्य की सामान्य निधि से किया जायेगा, और California के करदाता बॉण्ड्स को चुकता किये जाने के बोझ को बांटेंगे जिसके लिए सामान्य निधि से एक साल में $500 मिलियन निकल जायेंगे।

यह निष्पक्षता का मुद्दा है। 1960 के बॉण्ड ऐक्ट में, जिसने राज्य के जल प्रोजेक्ट का वित्तपोषण किया था, यह निर्देशित किया गया था कि लाभार्थी उन लागतों का भुगतान अपनी पानी की दरों के माध्यम से करें। अगर निजी जल प्रयोक्ता अपने दम पर इन प्रोजेक्ट्स का वित्तपोषण नहीं करेंगे, तो करदाताओं को उनके निर्माण का आर्थिक उत्तरदायित्व लेने के लिए, और फिर बाद में ऊँचे दामों पर पानी खरीदने के लिए नहीं कहा जाना चाहिये। निजी जल प्रयोक्ताओं, जोकि लाभार्थी हैं, न कि करदाता, को इन प्रोजेक्ट्स की लागत चुकानी चाहिये।

जैसे-जैसे सूखा बढ़ेगा, California के समुद्र तट के किनारे California वासियों और मछली पालन के लिए उसके प्रभाव में वृद्धि होगी। हमारी उत्तरी नदियां संकटग्रस्त सेमन मछलियों की प्रजातियों के लिए, जोकि विलुप्त होने के कगार पर हैं, आखिरी बचा हुआ सहारा हैं। इसके अलावा, हमारी नदियां मछलियों के लिए अंडे देने हेतु महत्वपूर्ण वास प्रदान करती हैं जो पश्चिमी तट के ऊपर और नीचे की ओर, पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह जल बॉण्ड उत्तरी तट और California दोनों के लिए कम मूल्य वापस करता है।

प्रस्ताव 1 के तहत, जल भंडारण सम्बन्धी पैसे मध्य और उत्तरी तटीय क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। यह भंडारण सम्बन्धी खर्च को राज्य के एक सीमित इलाके, मुख्य रूप से San Joaquin व Sacramento घाटियां और दक्षिणी California को लाभांवित करने तक सीमित कर देता है।

प्रस्ताव 1 गलत निवेश है: यह निकट-अवधि में सूखा राहत के लिए थोड़ा-सा ही करता है, आवश्यक क्षेत्रीय जल आत्म-निर्भरता को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं देता है, या पहले से ही पानी से वंचित डेल्टा पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता को कम नहीं करता है। जैसा कि सिकुड़ते जलाशयों और गिरते हुए जलदायी स्तरों से साबित होता है, जल भंडारण की कोई भी मात्रा अधिक बारिश और बर्फ पैदा नहीं करेगी।

कृपया प्रस्ताव 1 पर नहीं में मतदान करने के लिए हमारे साथ शामिल हों।

असेम्बली सदस्य Wesley Chesbro, चेयरमैन
प्राकृतिक संसाधन समिति
Conner Everts, कार्यकारी निदेशक दक्षिणी California वाटरशेड एलायंस
Barbara Barrigan-Parilla, कार्यकारी निदेशक
रीस्टोर दि डेल्टा

★ प्रस्ताव 1 के खिलाफ तर्क का खंडन ★

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान करें

विरोधी लोग तथ्यों को विकृत कर देते हैं और उस विनाशकारी सूखे की पूरी तरह से अनदेखी कर देते हैं जो इस जल बॉण्ड को नितांत आवश्यक बनाता है।

दशकों तक, राजनेता पानी के बारे में बहस करते रहे जबकि चीजें बदतर होती गयीं। लेकिन अब एक वास्तविक समाधान पास में है: प्रस्ताव 1—जिसको राज्य के हर हिस्से से रिपब्लिकंस, डेमोक्रैट्स, व्यवसायों, किसानों, पर्यावरणविदों, श्रमिकों, और अखबारों का समर्थन प्राप्त है। इसको सीनेट में एक सर्वसम्मत वोट सहित दोनों दलों से जबर्दस्त समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

California जल प्रोजेक्ट के शुरू किये जाने के बाद से हमारी आबादी दोगुनी से भी अधिक हो गयी है, और हम इतिहास के एक सबसे खराब सूखे का सामना कर रहे हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि California की जल प्रणाली टूटी हुई है। इसे ठीक किया जाना चाहिये!

तटबंध विफल हो रहे हैं, समुदायों को सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिल सकता है, नदियां सूख रही हैं, और किसानों को नुकसान पहुँच रहा है।

प्रस्ताव 1 वित्तीय दृष्टि से समझदारीपूर्ण है। यह करों में वृद्धि नहीं करता या पोर्क प्रोजेक्ट्स में पूँजी नहीं लगाता। यह जनसामान्य के लाभों, जैसे कि पानी की गुणवत्ता, बाढ़ नियंत्रण, और प्राकृतिक वास के लिए भुगतान करता है।

प्रस्ताव 1 वैज्ञानिकों, न कि राजनेताओं के द्वारा तैयार की गयी एक संतुलित योजना पर आधारित सही चीजों में निवेश करता है।

जल भंडारण महत्वपूर्ण है और हमने 30 वर्षों में कोई भी नया भंडारण नहीं जोड़ा है। प्रस्ताव 1 ध्यानपूर्वक केवल सबसे अधिक लागत प्रभावी भंडारण सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करता है।

समाचार-पत्र राज्य भर में प्रस्ताव 1 का समर्थन करते हैं:

यह "पानी के बुनियादी ढाँचें और प्रशोधन में निवेशों को सफलतापूर्वक संतुलित करता है जिससे राज्य के सभी भागों को फायदा है . . ."—*San Francisco Chronicle*.

"एक ऐसा बॉण्ड प्रस्ताव जिससे समस्याओं को सुलझाने में सचमुच मदद मिलेगी।" —*Modesto Bee*.

प्रस्ताव 1 पर हाँ में मतदान करें!

Edmund G. Brown Jr., गवर्नर

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं, और उन्हें शुद्धता के लिए किसी भी आधिकारिक एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

इस खंड में राज्य के बॉण्ड ऋण को वर्णित किया गया है। इसमें इस बाबत भी चर्चा की गयी है कि प्रस्ताव 1—$7.5 बिलियन राशि का जल बॉण्ड प्रस्ताव किस तरह—राज्य की बॉण्ड लागतों को प्रभावित करेगा।

पृष्ठभूमि

बॉण्ड्स क्या हैं? बॉण्ड्स एक ऐसा तरीका हैं जिससे सरकारें और कम्पनियां पैसा उधार लेती हैं। राज्य सरकार, उदाहरण के लिए, बॉण्ड्स का उपयोग प्राथमिक रूप से बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट्स के नियोजन, निर्माण, और नवीनीकरण के लिए करती है। राज्य इस प्रोजेक्ट्स के लिए अग्रिम वित्तपोषण धनराशि उपलब्ध कराने के लिए निवेशकों को बॉण्ड्स बेचता है और फिर एक निश्चित समयावधि में, निवेशकों को ब्याज के साथ इन्हें चुकाने के लिए वादा करता है। बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण करने के लिए राज्य के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले बॉण्ड्स के दो मुख्य प्रकार हैं सामान्य दायित्व बॉण्ड्स (जिसे मतदाताओं के द्वारा मंजूर किया जाना चाहिये) और लीज़ (पट्टा) राजस्व बॉण्ड्स (जिन्हें मतदाताओं के द्वारा मंजूर किये जाने की ज़रूरत नहीं है)। राज्य के अधिकांश सामान्य दायित्व और लीज़ राजस्व बॉण्ड्स सामान्य निधि से चुकाये जाते हैं। सामान्य निधि, राज्य का मुख्य परिचालन खाता है, जिसका इस्तेमाल यह शिक्षा, जेलों, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य सेवाओं हेतु भुगतान करने के लिए करता है। सामान्य निधि प्राथमिक रूप से आय और बिक्री कर राजस्व राशियों के द्वारा समर्थित होती है।

बॉण्ड्स किसका वित्तपोषण करते हैं और उनका उपयोग क्यों किया जाता है? राज्य सामान्यतया बॉण्ड्स का उपयोग सड़कों, शैक्षणिक सुविधाओं, जेलों, पार्कों, जल सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स, और कार्यालय भवनों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स का वितापोषण करने के लिए करता है। राज्य बॉण्ड्स का इस्तेमाल कुछ प्रकार के निजी बुनियादी ढाँचे, जैसे कि अस्पतालों और सेवानिवृत्त सैनिकों के आवास के वित्तपोषण में मदद करने के लिए भी किया गया है। बॉण्ड्स जारी करने का एक मुख्य कारण है कि बुनियादी ढाँचा विशिष्ट रूप से बहुत वर्षों तक सेवायें प्रदान करता है। इसलिए, वर्तमान और भावी दोनों करदाताओं के लिए उनके दाम चुकाने में मदद करना यथोचित है। इसके अलावा, इन प्रोजेक्ट्स की बड़ी लागतों को एक बार में चुका पाना मुश्किल हो सकता है।

बॉण्ड वित्तपोषण की लागतें क्या हैं? बॉण्ड्स बेचने के बाद, राज्य तब तक वार्षिक भुगतान करता है जब तक कि बॉण्ड्स चुकता नहीं हो जाते। बॉण्ड्स चुकाने की वार्षिक लागत प्राथमिक रूप से ब्याज दर और बॉण्ड्स को चुकाने की अवधि पर निर्भर करती है। राज्य बॉण्ड्स के भुगतान अक्सर 30-वर्ष की अवधि में करता है (उसी तरह जैसे मकान मालिक अपने बंधक ऋणों पर भुगतान करते हैं)। अगर उधार लिये गये हर $1 के लिए ब्याज दर 5 प्रतिशत मान ली जाये, तो राज्य ऋण-अदायगी की विशिष्ट 30-वर्ष की अवधि में लगभग $2 अदा करेगा। उस $2 की राशि में से, $1 उधार ली गयी राशि (मूलधन) को चुकाने और $1 के करीब ब्याज को चुकाने के लिए जायेगा। फिर भी, चूँकि हर बॉण्ड की अदायगी पूरे 30-वर्ष की अवधि में फैली हुई है, इसलिए मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किये जाने के बाद लागत कम आती है—उधार लिये गये हर $1 के लिए लगभग $1.30।

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स और राज्य का बजट

सामान्य कोष ऋण की राशि। राज्य के लगभग $87 बिलियन धनराशि के सामान्य निधि-समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स बकाया हैं—अर्थात, ऐसे बॉण्ड्स जिन पर यह मूलधन और ब्याज का भुगतान कर रहा है। इसमें लगभग $76 बिलियन के सामान्य दायित्व बॉण्ड्स और $11 बिलियन के पट्टा (लीस) राजस्व बॉण्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा, मतदाताओं और विधानमंडल ने लगभग $29 बिलियन राशि के सामान्य दायित्व और पट्टा (लीस) राजस्व बॉण्ड्स को मंजूरी दी हुई है जिन्हें अभी तक बेचा नहीं गया है। इनमें से अधिकांश बॉण्ड्स की अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण की ज़रूरत के अनुसार आने वाले वर्षों में बेचे जाने की उम्मीद है।

सामान्य कोष ऋण भुगतान। 2013–14 में, सामान्य निधि के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड अदायगी राशियों का योग $5 बिलियन से अधिक रहा। जैसे ही उन बॉण्ड्स को, जिन्हें पहले से अधिकृत किया जा चुका है, बेचा जायेगा, तो बॉण्ड ऋण की बकाया लागतें बढ़ जायेंगी, जो सम्भवतया 2019–20 में $7 बिलियन से भी अधिक हो जायेंगी।

इस चुनाव का ऋण भुगतानों पर प्रभाव। इस मतपत्र पर जल बॉण्ड का प्रस्ताव (प्रस्ताव 1) निवेशकों को सामान्य दायित्व बॉण्ड्स बेच कर राज्य को अतिरिक्त $7.1 बिलियन की राशि उधार लेने की अनुमति देगा। इन बॉण्ड्स के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि, जिसे ऋण शोधन या भुगतान भी कहा जाता है, उनकी बिक्री के समय और शर्तों पर निर्भर करेगी। हम मान लेते हैं कि ब्याज दर 5 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक होगी, और बॉण्ड्स दस-वर्ष की अवधि में जारी किये जायेंगे, तथा यह भी कि बॉण्ड्स की अदायगी 30 वर्षों में की जायेगी। इन अनुमानों के आधार पर, सामान्य निधि की अनुमानित औसत वार्षिक लागत लगभग $360 मिलियन होगी। हमारा अनुमान है कि विधेयक के लिए, 40-वर्ष की अवधि में जिसके दौरान बॉण्ड्स चुकता किये जायेंगे, कुल $14.4 बिलियन से अधिक की राशि के ऋण शोधन भुगतान आवश्यक होंगे। प्रस्ताव 1 राज्य को $425 मिलियन की राशि उन अविक्रित बॉण्ड्स के रूप में पुनर्निर्देशित करने की भी अनुमति देगा जिनके लिए मतदाओं ने पिछले चुनावों में मंजूरी दे दी थी। हमारा मानना है कि, इस विधेयक के बिना, इन बॉण्ड्स को अंततः दूसरे संसाधन-सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स का वित्तपोषण करने के लिए बेच दिया गया होता। नतीजतन, इन बॉण्ड निधियों के उपयोग को पुनर्निर्देशित करने से राज्य पर कोई अतिरिक्त राजकोषीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस चुनाव का ऋण शोधन अनुपात (DSR) पर प्रभाव्। राज्य के ऋण की स्थिति का एक सूचक उसका DSR होता है। यह अनुपात राज्य के वार्षिक सामान्य निधि राजस्व राशियों के उस हिस्से को इंगित करता है जिन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर ऋण शोधन सम्बन्धी भुगतानों के लिए अलग रख दिया जाना चाहिये और, इसलिए, वे राज्य के दूसरे कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसा आकृति 1 में दिखाया गया है, DSR इस समय वार्षिक सामान्य निधि राजस्व राशियों का लगभग 5 प्रतिशत है। अगर मतदाता इस मतपत्र पर प्रस्तावित जल बॉण्ड को मंजूरी नहीं देते हैं, तो हमारे भावी अनुमान के अनुसार राज्य का पहले से ही अधिकृत बॉण्ड्स पर ऋण शोधन या भुगतान 2018–19 में सामान्य निधि राजस्व राशियों के अधिकतम 6 प्रतिशत से कम तक पहुँच जायेगा, और उसके बाद उसमें गिरावट आ जायेगी। अगर मतदाता इस मतपत्र पर प्रस्तावित जल बॉण्ड को मंजूरी दे देते हैं, तो हमारे भावी अनुमान के अनुसार इससे DSR में, उसकी तुलना में जो वह अन्यथा हो गयी होती, एक प्रतिशतता अंक के एक तिहाई भाग से भी कम की वृद्धि होगी। अगर अतिरिक्त बॉण्ड बाद के वर्षों में अधिकृत किये गये होते, तो राज्य की भावी DSR आकृति में दर्शायी गयी DSR से अधिक होतीं।

आकृति 1

सामान्य निधि ऋण-शोधन अनुपात

ऋण-शोधन यानि भुगतान पर खर्च किया जाने वाला सामान्य निधि राजस्व राशियों का प्रतिशत

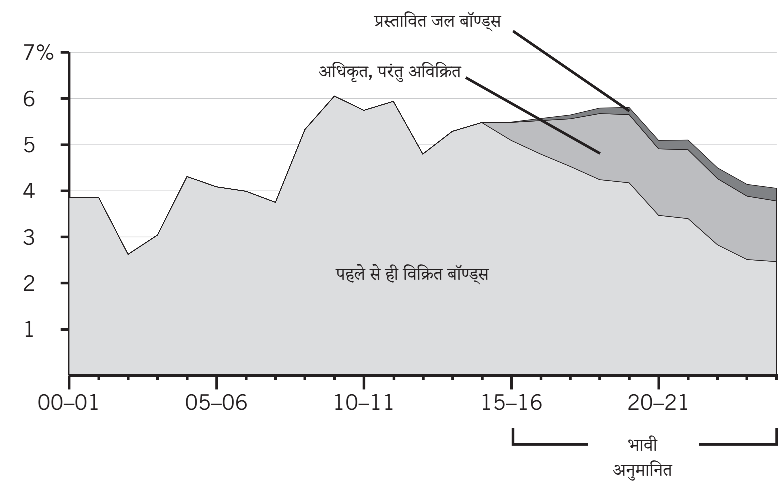

प्रस्ताव 1

यह 2013–2014 के नियमित सत्र (अध्याय 188, 2014 के अधिनियम) के विधानसभा बिल 1471 के द्वारा प्रस्तावित कानून California के संविधान के अनुच्छेद XVI के प्रावधानों के अनुरूप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून सार्वजनिक संसाधन संहिता और जल संहिता में नयी धारायें जोड़ता है; इसलिए जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नये प्रावधान, यह बताने के लिए कि वे नये हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गये हैं।

प्रस्तावित कानून

धारा 1. सार्वजनिक संसाधन संहिता में धारा 5096.968 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

5096.968. किसी भी अन्य कानून के होते हुए भी, इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) जल संहिता के खंड 26.7 (धारा 79700 से शुरू होकर) के प्रयोजनों का वित्तपोषण करने के लिए पुन: आबंटित किये जाते हैं, और उन्हें इसके अनुसार अधिकृत, जारी, और विनियोजित किया जायेगा। पुन: आबंटन के लिए उपलब्ध धनराशियां इस अध्याय के हर बॉण्ड आबंटन से यथानुपात आधार पर की जायेंगी।

धारा 2. सार्वजनिक संसाधन संहिता में धारा 75089 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

75089. किसी भी अन्य कानून के होते हुए भी, इस खंड के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के एक सौ पाँच मिलियन डॉलर ($105,000,000) जल संहिता के खंड 26.7 (धारा 79700 से शुरू होकर) के प्रयोजनों के लिए पुन: आबंटित किये जाते हैं, और उन्हें इसके अनुसार अधिकृत, जारी, और विनियोजित किया जायेगा। पुन: आबंटन के लिए उपलब्ध धनराशियां इस खंड के हर बॉण्ड आबंटन से यथानुपात आधार पर की जायेंगी।

धारा 3. जल संहिता में धारा 13467 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

13467. किसी भी अन्य कानून के होते हुए भी, धारा 13459 के उपखंड (a) के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के तेरह मिलियन पाँच सौ हजार डॉलर ($13,500,000) खंड 26.7 (धारा 79700 से शुरू होकर) के प्रयोजनों का वित्तपोषण करने के लिए पुन: आबंटित किये जाते हैं, और उन्हें इसके अनुसार अधिकृत, जारी, और विनियोजित किया जायेगा।

धारा 4. जल संहिता में धारा 78691.5 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

78691.5. किसी भी अन्य कानून के होते हुए भी, 78550 से 78551 तक की धाराओं के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के नौ मिलियन नौ सौ हजार डॉलर ($9,900,000), जिनमें धारा 78671 के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के तीन मिलियन दो सौ हजार डॉलर ($3,200,000), धारा 78680 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के तीन मिलियन पाँच सौ हजार डॉलर ($3,500,000), और धारा 78681.2 के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के आठ मिलियन एक सौ हजार डॉलर ($8,100,000), तथा धारा 78530.5 के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के आठ सौ हजार डॉलर ($800,000) सम्मिलित हैं, खंड 26.7 (धारा 79700 से शुरू होकर) के प्रयोजनों का वित्तपोषण करने के लिए पुन: आबंटित किये जाते हैं, और उन्हें इसके अनुसार अधिकृत, जारी, और विनियोजित किया जायेगा।

धारा 5. जल संहिता में धारा 79222 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

79222. किसी भी अन्य कानून के होते हुए भी, धारा 79157 के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के चौंतीस मिलियन डॉलर ($34,000,000), और धारा 79195 के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के बावन मिलियन डॉलर ($52,000,000) खंड 26.7 (धारा 79700 से शुरू होकर) के प्रयोजनों का वित्तपोषण करने के लिए पुन: आबंटित किये जाते हैं, और उन्हें इसके अनुसार अधिकृत, जारी, और विनियोजित किया जायेगा।

धारा 6. जल संहिता में धारा 79591 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

79591. किसी भी अन्य कानून के होते हुए भी, इस खंड के उद्देश्यों के लिए अधिकृत किये गये अनिर्गमित बॉण्ड्स के पिच्चानवें मिलियन डॉलर ($95,000,000) खंड 26.7 (धारा 79700 से शुरू होकर) के प्रयोजनों के लिए पुन: आबंटित किये जाते हैं, और उन्हें इसके अनुसार अधिकृत, जारी, और विनियोजित किया जायेगा। पुन: आबंटन के लिए उपलब्ध धनराशियां इस खंड के हर बॉण्ड आबंटन से यथानुपात आधार पर की जायेंगी।

धारा 8. जल संहिता में खंड 26.7 (धारा 79700 से शुरू होकर) जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

खंड 26.7. 2014 का पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचे में सुधार सम्बन्धी अधिनियम

अध्याय 1. लघु शीर्षक

79700. इस खंड को 2014 के पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचे में सुधार सम्बन्धी अधिनियम के रूप में जाना जायेगा, और इस रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

अध्याय 2. निष्कर्ष

79701. California के लोगों को निम्नलिखित में से सभी की जानकारी है और वे घोषणा करते हैं:

(a) घरों, व्यवसायों, और खेतों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी की California की आपूर्ति को सुरक्षित रखना सरकार की आवश्यक जिम्मेदारी है, और सभी California वासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

(b) प्रत्येक California वासी को स्वच्छ, सुरक्षित, और विश्वसनीय पीने का पानी सुलभ होना चाहिये।

(c) California अक्सर लगातार और गम्भीर सूखे का सामना करता आ रहा है और वह वर्तमान में 200 वर्षों में सबसे खराब सूखा सह रहा है। ये सूखे हमारे मौजूदा पानी के बुनियादी ढाँचे की कमियों को बढ़ा रहे हैं।

(d) California का पानी का बुनियादी ढाँचा पुराना और खराब होता जा रहा है। 50 से भी अधिक वर्षों पहले, California वासियों ने राज्य के जल प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी थी। हालांकि, हाल के दशकों में, वह बुनियादी ढाँचा California की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ है।

(e) यह विधेयक California की जल कार्य योजना के तीन उद्देश्यों – और अधिक विश्वसनीय जल आपूर्तियों, महत्वपूर्ण प्रजातियों और प्राकृतिक वास की बहाली, तथा और अधिक लचीला व सुस्थायी रूप से प्रबंधित पानी का बुनियादी ढाँचा - को लागू करने के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।

(f) हमारे जल संसाधनों का विकास और उनकी रखवाली जीवंत समुदायों, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी खेती, और स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों को बनाये रखने हेतु California के लिए महत्वपूर्ण है।

(g) मौजूदा जल आपूर्तियों का और अधिक कुशल उपयोग करने के लिए जल संरक्षण और रीसाइकिलिंग को बढ़ावा देना सहज बुद्धि की विधियां हैं।

(h) California में सुस्थिर जल प्रबंधन ओवरड्राफ्ट और भूजल बेसिनों की पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी दोष को कम करने और उसे उलटा कर देने पर निर्भर करता है। भूजल भंडारण को विस्तार देने तथा ओवरड्राफ्ट और भूजल बेसिनों की पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी दोष को कम करने और उसे उलटा कर देने के लिए निवेश असाधारण सार्वजनिक लाभ प्रदान करते हैं और सार्वजनिक हित में हैं।

(i) झीलों, नदियों, और धाराओं की रक्षा करना, प्रदूषित भूजल आपूर्तियों की सफाई करना, और पानी के ऐसे स्रोतों का संरक्षण करना जो पूरे राज्य की आपूर्ति करते हैं, एक विश्वसनीय जल आपूर्ति उपलब्ध कराने और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(j) पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति, और 2014 का बुनियादी ढाँचे में सुधार सम्बन्धी अधिनियम California के जल संसाधनों के सम्मुख मौजूद विभिन्न चुनौतियों को हल करने के लिए एक व्यापक और वित्तीय रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अध्याय 3. परिभाषायें

79702. जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक नहीं हो, इस खंड में बतायी गयीं परिभाषायें इस खंड के निर्माण को निम्न प्रकार नियंत्रित करती हैं:

(a) "अधिग्रहण" का मतलब है अचल सम्पत्ति में कोई शुल्क सम्बन्धी अधिकार या अन्य कोई अधिकार प्राप्त करना, जिसमें दूसरे की जमीन पर से गुजरने के अधिकार यानि ईज़मेंट्स, पट्टे, पानी, जल अधिकार, या पानी में धारा के यानि इनस्ट्रीम प्रवाहों के उद्देश्यों के लिए प्राप्त किये गये अधिकार और विकास अधिकार शामिल हैं।

(b) "काफ़्ड बे डेल्टा कार्यक्रम" का मतलब है तारीख 28 अगस्त, 2000 के निर्णय के रिकॉर्ड में वर्णित कार्यक्रम।

(c) "आयोग" का मतलब है California जल आयोग।

(d) "समिति" का मतलब है धारा 79787 के द्वारा बनायी गयी पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचे में सुधार सम्बन्धी वित्त समिति।

(e) "डेल्टा" का मतलब है Sacramento-San Joaquin डेल्टा, जैसा धारा 85058 में परिभाषित किया गया है।

(f) "डेल्टा परिवहन सुविधायें" का मतलब है वे सुविधायें जो Sacramento नदी से पानी सीधे राज्य जल प्रोजेक्ट को या दक्षिण डेल्टा में संघीय Central Valley प्रोजेक्ट की पम्पिंग सुविधाओं को पहुँचाती हैं।

(g) "डेल्टा काउंटियों" का मतलब है Contra Costa, Sacramento, San Joaquin, Solano, और Yolo की काउंटियां।

(h) "डेल्टा योजना" का मतलब वही है जो धारा 85059 में बताया गया है।

(i) "निदेशक" का मतलब है जल संसाधन निदेशक।

(j) "वंचित समुदाय" का मतलब धारा 79505.5 के उपखंड (a) में बताये गये अनुसार है, जिसे संशोधित किया जा सकता है।

(k) "आर्थिक रूप से तंगी वाले क्षेत्र" का मतलब है 20,000 व्यक्तियों या उससे कम की आबादी वाली कोई नगरपालिका यानि म्युनिसिपालिटी, कोई ग्रामीण काउंटी, या किसी बड़ी म्युनिसिपालिटी का यथोचित रूप से अलग-थलग और ऐसा विभाज्य खंड जहाँ पर खंड की आबादी 20,000 व्यक्ति या उससे कम हो, और उनकी वार्षिक औसत घरेलू आय, राज्यव्यापी औसत घरेलू आय के 85 प्रतिशत से कम हो, तथा विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों में से एक या उससे अधिक लागू होती हों:

(1) वित्तीय कठिनाई।

(2) बेरोजगारी दर राज्यव्यापी औसत से कम से कम 2 प्रतिशत अधिक हो।

(3) निम्न जनसंख्या घनत्व।

(l) "निधि" का मतलब है धारा 79715 के द्वारा बनायी गयी 2014 की पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचा सुधार निधि।

(m) "धारा के यानि इनस्ट्रीम प्रवाहों" का मतलब है किसी निश्चित समय के लिए, किसी विशेष स्थान पर, घन फीट प्रति सेकंड में नापा गया धारा का विशिष्ट प्रवाह, और इसमें सामान्यतया मौसमी बदलाव होते रहते हैं।

(n) "एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना" का मतलब खंड 6 के भाग 2.2 (धारा 10530 से शुरू होकर) में बताया गया है, जैसा उस भाग में संशोधन किया जा सकता है।

(o) "दीर्घावधि" का मतलब है कम से कम 20 वर्ष की अवधि।

(p) "लाभेतर संगठन/संस्था" का मतलब है कोई ऐसा संगठन या संस्था जो California में कारोबार करने के लिए योग्य हो और संयुक्त राज्य संहिता के शीर्षक 26 की धारा 501(c)(3) के तहत योग्यता प्राप्त हो।

(q) "प्रस्ताव 1E" का मतलब है 2006 का आपदा तैयारी और बाढ़ की रोकथाम सम्बन्धी बॉण्ड ऐक्ट (सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 5 का (अध्याय 1.699 (धारा 5096.800 से शुरू होकर))।

(r) "प्रस्ताव 84" का मतलब है 2006 का सुरक्षित पेय जल, जल गुणवत्ता और आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, नदी और तटीय संरक्षण बॉण्ड ऐक्ट (सार्वजनिक संसाधन संहिता का खंड 43 (धारा 75001 से शुरू होकर)।)

(s) "सार्वजनिक एजेंसी" का मतलब है कोई राज्य एजेंसी या विभाग, विशेष डिस्ट्रिक्ट, संयुक्त अधिकार प्राधिकरण, सिटी, काउंटी, सिटी व काउंटी, या राज्य का अन्य राजनीतिक उपखंड।

(t) "बरसात का पानी" का मतलब धारा 10573 के उपखंड (c) में बताया गया है।

(u) "सचिव" का मतलब है प्राकृतिक संसाधन एजेंसी का सचिव।

(v) "गम्भीर रूप से वंचित समुदाय" का मतलब स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 116760.20 के उपखंड (a) में बताया गया है।

(w) "लघु सामुदायिक जल प्रणाली" का मतलब है ऐसी सामुदायिक जल प्रणाली जो अधिकतम 3,300 सर्विस कनेक्शंस या अधिकतम 10,000 व्यक्तियों की एक वर्षीय आबादी के लिए काम करती है।

(x) "राज्य बोर्ड" का मतलब है राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड।

(y) "स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ" का मतलब है राज्य सामान्य दायित्व बॉण्ड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 का अध्याय 4(धारा 16720 से शुरू होकर))।

(z) "राज्य लघु जल प्रणाली" का मतलब स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 116275 के उपखंड (n) में बताया गया है।

(aa) "तूफान का पानी" का मतलब धारा 10573 के उपखंड (e) में बताया गया है।

(ab) "जल अधिकार" का मतलब है एक निर्दिष्ट स्रोत से दूसरे मार्ग पर ले जाये जाने और लाभकारी, व गैर-अनावश्यक उपयोग में लिये जाने के लिए अधिकृत करने वाली कानूनी पात्रता।

अध्याय 4. सामान्य प्रावधान

79703. इस खंड के अनुसार किसी अनुदान कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशियों के अधिकतम 5 प्रतिशत के बराबर की राशि का उपयोग उस कार्यक्रम की प्रशासनिक लागतों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

79704. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, इस खंड के द्वारा वित्तपोषित हर कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशियों का 10 प्रतिशत तक उस कार्यक्रम के तहत अधिकृत प्रोजेक्ट्स के सफल डिजाइन, चयन, और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्लानिंग और निगरानी के लिए खर्च किया जा सकता है। यह खंड साधारणतया किसी एजेंसी के द्वारा किसी पूँजीगत परिव्यय प्रोजेक्ट या अनुदान प्रोजेक्ट के लिए वार्षिक बजट अधिनियम में परिभाषित किये गये अनुसार "प्रारम्भिक योजनाओं", "वर्किंग ड्रॉइंग्स", और "निर्माण" के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशियों को अन्यथा प्रतिबंधित नहीं करेगा। जल गुणवत्ता की निगरानी का डैटा एकत्रित किया जायेगा और ऐसे ढंग में राज्य बोर्ड को रिपोर्ट किया जायेगा जो राज्य बोर्ड के द्वारा प्रशासित सतही जल निगरानी डैटा प्रणालियों या भूजल निगरानी डैटा प्रणालियों के अनुकूल और

अनुरूप हो। जलविभाजक यानि वाटरशेड निगरानी का डैटा एकत्रित किया जायेगा और ऐसे ढंग में संरक्षण विभाग को रिपोर्ट किया जायेगा जो संरक्षण विभाग के द्वारा प्रशासित राज्यव्यापी जलविभाजक यानि वाटरशेड कार्यक्रम के अनुकूल और अनुरूप हो।

79705. सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 का अध्याय 3.5 (धारा 11340 से शुरू होकर), अध्याय 8 (धारा 79750 से शुरू होकर) के अलावा इस खंड के अंतर्गत अधिकृत या वित्तपोषित कार्यक्रमों या प्रोजेक्ट्स के विकास या क्रियान्वयन के लिए लागू नहीं होता है।

79706. (a) इस खंड के अनुसार अनुदान या ऋण वितरित करने से पूर्व, हर राज्य एजेंसी जिसे इस खंड के तहत प्रतिस्पर्धी अनुदान या ऋण कार्यक्रम चलाने के लिए इस खंड के द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कोई विनियोग प्राप्त होता है, वह प्रोजेक्ट अनुरोध और मूल्यांकन सम्बन्धी मार्गनिर्देश तैयार करेगी और उन्हें अपनायेगी। मार्गनिर्देशों में निगरानी और रिपोर्टिंग सम्बन्धी आवश्यकतायें शामिल होंगी तथा इनमें अवार्ड किये जाने वाले अनुदानों या ऋणों की डॉलर राशि पर पाबंदी शामिल हो सकती है। अगर राज्य एजेंसी ने पहले अनुरोध और मूल्यांकन सम्बन्धी ऐसे मार्गनिर्देश जो इस उपखंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों, तैयार कर चुकी है और उन्हें अपना चुकी है, तो यह उन मार्गनिर्देशों का उपयोग कर सकती है।

(b) अनुदान या ऋण वितरित करने से पूर्व, राज्य एजेंसी मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले जनसामान्य की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए तीन सार्वजनिक बैठकें आयोजित करेगी। राज्य एजेंसी अनुरोध और मूल्यांकन सम्बन्धी मार्गनिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक बैठकों से कम से कम 30 दिन पहले अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। एक बैठक उत्तरी California के किसी स्थान पर आयोजित की जायेगी, एक बैठक California की सेंट्रल वैली के किसी स्थान पर आयोजित की जायेगी, और एक बैठक दक्षिणी California के किसी स्थान पर आयोजित की जायेगी। स्वीकार किये जाने पर, राज्य एजेंसी मार्गनिर्देशों की प्रतियां विधानमंडल की राजकोषीय यानि वित्तीय समितियों और उपयुक्त नीति समितियों को प्रेषित करेगी।

79707. लोगों का आशय है कि:

(a) इस खंड के अनुसार सार्वजनिक धनराशियों के निवेश के परिणामस्वरूप ऐसे सार्वजनिक फायदे होंगे जो सार्वजनिक वित्तपोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यव्यापी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को हल करेंगे।

(b) इस खंड के द्वारा अधिकृत धनराशि के विनियोजन और खर्च में, ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जायेगी जो निजी, संघीय, या स्थानीय धनराशि का लाभ उठाते हों या सबसे अच्छा सार्वजनिक लाभ पैदा करते हों।

(c) एक वित्तपोषित प्रोजेक्ट उस चैप्टर के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है जिससे प्रोजेक्ट को धन प्राप्त हुआ है।

(d) जल संसाधनों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में, राज्य और स्थानीय जल एजेंसियां उन निर्णयों की सूचना देने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान का उपयोग करेंगी।

(e) ऐसे प्रोजेक्ट्स को विशेष महत्व दिया जायेगा जो नयी या अभिनव टेक्नोलॉजी या कार्य-व्यवहारों का प्रयोग करते हों, जिनमें जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, भू उपयोग, और स्वच्छता सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, निर्णय में सहायता करने वाले ऐसे साधन शामिल हैं जो कई कार्यक्षेत्रों के एकीकरण का समर्थन करते हैं।

(f) इस खंड के अनुसार वित्तपोषण के लिए विचार किये जाने वाले प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन में प्रस्तावित प्रोजेक्ट से संबद्ध क्षेत्रों के पेशेवर लोगों के द्वारा की गयी समीक्षा शामिल होगी।

(g) व्यवहार्य सीमा तक, इस खंड के द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशियों द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट में जनसामान्य को यह सूचित करता हुआ संकेतक शामिल होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2014 के पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचे में सुधार सम्बन्धी अधिनियम से धनराशियां प्राप्त की गयीं हैं।

(h) इस खंड से प्राप्त होने वाली धनराशियों से वित्तपोषित प्रोजेक्ट्स इस संहिता के खंड 7 (धारा 13000 से शुरू होकर) और सरकारी संहिता की धारा 13100 के अनुरूप होंगे।

(i) इस खंड से प्राप्त होने वाली धनराशियों से वित्तपोषित प्रोजेक्ट्स सरकारी संहिता की धारा 65041.1 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य की प्लानिंग सम्बन्धी प्राथमिकताओं और सरकारी संहिता की धारा 65080 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (B) के प्रावधानों के अनुरूप समुदायों की सुस्थिर रणनीतियों को, संभाव्य सीमा तक बढ़ावा देंगे।

(j) California के कार्यशील कृषि सम्बन्धी और वनाच्छादित भूदृश्यों को जहाँ पर भी सम्भव होगा संरक्षित रखा जायेगा। संभाव्य सीमा तक, इस खंड में शामिल जलविभाजक यानि वाटरशेड सम्बन्धी उद्देश्यों को कंजर्वेशन ईज़मेंट्स और भूस्वामियों की स्वैच्छिक भागीदारी से हासिल किया जाना चाहिये, जिसमें सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 10.2 (धारा 10200 से शुरू होकर) और खंड 10.4 (धारा 10330 से शुरू होकर) और स्वैच्छिक प्राकृतिक वास क्रेडिट विनिमय प्रक्रियाओं के अनुसार ईज़मेंट्स का उपयोग शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है।

79708. (a) इस खंड के अनुसार वित्त विभाग खर्चों का एक स्वतंत्र ऑडिट उपलब्ध करायेगा। इस खंड के अनुसार सचिव कम से कम वार्षिक रूप से कार्यक्रम और प्रोजेक्ट सम्बन्धी सभी खर्चों की एक सूची, लिखित रूप में, प्रकाशित करेगा, और सूची की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राकृतिक संसाधन एजेंसी की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा।

(b) अगर इस खंड के द्वारा अधिकृत वित्तपोषण प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था का, कानून के द्वारा आवश्यक, राज्य के कानून के अनुसार, कोई ऑडिट किया जाता है और उसमें किसी भी अनुचित काम का पता चलता है, तो California राज्य का ऑडिटर या कंट्रोलर उस संस्था की किसी भी या सभी गतिविधियों का पूरा ऑडिट कर सकता है।

(c) इस खंड के द्वारा अधिकृत वित्तपोषण के साथ कोई भी अनुदान या ऋण जारी करने वाली राज्य एजेंसी के लिए अनुदान या ऋण से वित्तपोषण राशि के खर्चों की पर्याप्त रिपोर्टिंग आवश्यक होगी।

(d) इस खंड के अनुसार प्रोजेक्ट्स के लिए अनुरोध करने से पहले, राज्य एजेंसी सचिव को मार्गनिर्देश प्रस्तुत करेगी। सचिव सत्यापित करेगा कि मार्गनिर्देश लागू कानूनों के अनुरूप और इस खंड में गिने जाने वाले सभी उद्देश्यों के लिए हैं। सचिव राज्य एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत मार्गनिर्देशों और बाद के सत्यापनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राकृतिक संसाधन एजेंसी की इंटरनेट वेबसाइट पर पोस्ट करेगा।

79709. (a) इस खंड के अनुसार पानी के एक स्थायी समर्पण के अधिग्रहण के लिए खर्च की गयीं धनराशियां धारा 1707 के अनुसार होंगी जहाँ पर राज्य बोर्ड निर्दिष्ट करता है कि यह पानी उस पानी के अतिरिक्त है जो धारा 1707 के उपखंड (c) में प्रदान किये गये अनुसार नियामक आवश्यकताओं के लिए चाहिये। इस खंड के द्वारा प्रदत्त धनराशियों के खर्चे में अल्पकालिक या अस्थाई तात्कालिकता सम्बन्धी बदलाव के रूप में समर्पण की शुरुआत शामिल हो सकती है, जो किसी भी पर्यावरण सम्बन्धी प्रलेखन को तैयार करने के लिए और स्थायी समर्पण की मंजूरी के लिए आवश्यक अवधि के दौरान, धारा 1707 और या तो खंड 2 के भाग 2, के अध्याय 6.6 (धारा 1435 से शुरू होकर), या अध्याय 10.5 (धारा 1725 से शुरू होकर) के अनुसार मंजूर की जाती है।

(b) इस खंड के अनुसार पानी के लम्बी अवधि के ट्रांसफर्स के अधिग्रहण के लिए खर्च की गयी धनराशियां धाराओं 1735, 1736, और 1737 के अनुसार किये गये ट्रांसफर्स होंगी अगर राज्य बोर्ड, नोटिस और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, ऐसी किसी याचिका को मंजूरी दे देता है। इस खंड के अनुसार खर्च की गयी धनराशियां स्थायी ट्रांसफर्स को प्राथमिकता देंगी। लम्बी अवधि के ट्रांसफर्स कम से कम 20 वर्ष

की अवधि के लिये होंगे, सिवाय पानी के कोई भी ऐसे ट्रांसफर्स के जो सेंट्रल वैली प्रोजेक्ट सुधार अधिनियम (पब्लिक लॉ 102-575 का शीर्षक 34) की धारा 3406 के उपखंड (d) के लिये हों।

(c) इस खंड के अनुसार पानी के किसी भी अधिग्रहण के लिए खर्च की जाने वाली धनराशियां केवल इस खंड के अनुसार की जायेंगी और वे केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग की जायेंगी जो ऐसे मत्स्य पालन या पारिस्थितिकी तंत्र लाभ या सुधार प्रदान करेंगे जो आवश्यक लागू पर्यावरणीय शमन के उपायों या खंड से प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशियों के समय प्रभावी अनुपालन सम्बन्धी दायित्वों से बड़े हों और धनराशियां किसी भी उपायों या दायित्वों को क्रेडिट नहीं की जायेंगी, सिवाय पानी के कोई भी ऐसे ट्रांसफर्स के जो सेंट्रल वैली प्रोजेक्ट सुधार अधिनियम (पब्लिक लॉ 102-575 का शीर्षक 34) की धारा 3406 के उपखंड (d) के लिये हों।

79710. (a) इस खंड के द्वारा प्रदान की गयीं धनराशियां डेल्टा परिवहन सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, परिचालन, शमन, या रखरखाव की लागतों का भुगतान करने के लिए खर्च नहीं की जायेंगी। वे लागतें उन जल एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी जो डिजाइन, निर्माण, परिचालन, शमन, या उन सुविधाओं के रखरखाव से लाभांवित होती हैं।

(b) संभाव्य सीमा तक, धारा 79731 के उपखंड (k) को लागू करने में, Sacramento-San Joaquin डेल्टा कंजर्वैंसी सार्वजनिक भूमि पर प्रोजेक्ट्स या निजी भूमि पर स्वैच्छिक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश करेगी। धारा 79731 के उपखंड (k) के अनुसार Sacramento-San Joaquin डेल्टा कंजर्वैंसी के लिए उपलब्ध धनराशियों का इस्तेमाल, मछली और वन्य जीव विभाग के परामर्श से, प्राकृतिक वास से सम्बन्धित गौर करने लायक सुधारों या संकटग्रस्त अथवा लुप्तप्राय प्रजातियों की हालत में अन्य सुधारों को पैदा करने के लिए भूस्वामियों को भुगतान के लिए किया जा सकता है। Sacramento-San Joaquin डेल्टा कंजर्वैंसी प्राकृतिक वास संवर्धनों का कोई ऐसा प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम तैयार और लागू कर सकती है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में भूस्वामियों की स्वैच्छिक भागीदारी को अधिकतम करे जो डेल्टा में परिमेय और लम्बे समय तक टिकने वाले प्राकृतिक वास या प्रजातियों सम्बन्धी सुधार उपलब्ध कराये। ये धनराशियां किसी भी पार्टी के शमन दायित्वों के लिए वित्तीय सहायता देने या उन दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जायेंगी।

(c) धारा 79731 के उपखंड (k) को लागू करने में, Sacramento-San Joaquin डेल्टा कंजर्वैंसी उस सिटी या काउंटी, जिसमें अनुदान खर्च किया जाना प्रस्तावित हो या किसी अचल सम्पत्ति में किसी अधिकार को अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित हो, के साथ और डेल्टा संरक्षण आयोग के साथ तालमेल स्थापित करेगी या परामर्श करेगी। धारा 79731 के उपखंड (k) के अनुसार Sacramento-San Joaquin डेल्टा कंजर्वैंसी के द्वारा अधिग्रहण केवल इच्छुक विक्रेताओं से ही किये जायेंगे।

79711. (a) यह खंड किसी भी उत्पत्ति के क्षेत्र, उत्पत्ति के जल विभाजक यानि वाटरशेड, उत्पत्ति की काउंटी, या कोई भी अन्य जल अधिकार संरक्षणों को, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, कानून के तहत प्रदत्त, 19 दिसम्बर, 1914 से पूर्व विनियोजित पानी के अधिकार, कम, क्षीण, या किसी भी तरह से अन्यथा प्रभावित नहीं करता है। यह खंड, खंड 2 के भाग 2 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 1.7 (धारा 1215 से शुरू होकर), सम्मिलित रूप से, धाराओं 10505, 10505.5, 11128, 11460, 11461, 11462, और 11463, और धाराओं 12200 से 12220 तक, के प्रयोग को सीमित या प्रभावित नहीं करता है।

(b) इस खंड के उद्देश्यों के लिए, ऐसा क्षेत्र जो ऐसे पानी का उपयोग करता है जिसे Sacramento नदी के हाइड्रोलोजिक क्षेत्र या डेल्टा से बाहर उपयोग के लिए, Sacramento नदी के हाइड्रोलोजिक क्षेत्र से दूसरे मार्ग पर ले जाया गया और पहुँचाया गया है, उन सुविधाओं के जरिये, जिनका उस उद्देश्य के लिए निर्माण 1 जनवरी, 2014 के बाद हो सकता है, दूसरे मार्ग पर ले जाये जाने या ढुलाई के कारण उसका एकदम निकटवर्ती या वहाँ से सुगमता के साथ पानी की आपूर्ति किये जाने के लिए सक्षम नहीं माना जायेगा।

(c) इस खंड में कुछ भी खंड 2 के भाग 2 के अध्याय 10 (धारा 1700 से शुरू होकर) की प्रयोजनीयता का स्थान नहीं लेता है, उसे सीमित नहीं करता है, या उसे अन्यथा संशोधित नहीं करता है, जिसमें खंड 35 के भाग 4 के अध्याय 2 (धारा 85320 से शुरू होकर) के अनुसार निर्मित या परिचालित किसी भी नये क्न्वैंस यानि संवहन से सम्बन्धित याचिकायें शामिल हैं।

(d) जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदत्त नहीं हो, इस खंड में कुछ भी राज्य बोर्ड के पानी को दूसरे मार्ग पर ले जाये जाने और उपयोग के विनियमन से सम्बन्धित, मौजूदा कानूनी संरक्षणों, कार्यविधि सम्बंधी और सारभूत दोनों, का स्थान नहीं लेता है, उन्हें कम नहीं करता है, या अन्यथा प्रभावित नहीं करता है, इनमें जल अधिकार प्राथमिकतायें, धाराओं 106 और 106.5 के द्वारा म्युनिसिपल हितों के लिए प्रदत्त संरक्षण, और जल अधिकारों में बदलाव शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इस खंड में कुछ भी पानी को दूसरे मार्ग पर ले जाये जाने और उपयोग को विनियमित करने के लिए राज्य बोर्ड के मौजूदा अधिकार या California के जल अधिकारों पर अदालतों के मौजूदा समवर्ती अधिकार-क्षेत्र को विस्तारित नहीं करता है या उसमें अन्यथा बदलाव नहीं करता है।

(e) इस खंड में किसी बात को भी California वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स ऐक्ट (सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 5 के अध्याय 1.4 (धारा 5093.50 से शुरू होकर)) या फेडरल वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स ऐक्ट (16 यू.एस.सी. की धारा 1271 और अन्य) को प्रभावित करने वाली नहीं समझा जायेगा, और इस खंड के अनुसार अधिकृत धनराशियां किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगी जिसका उन मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता हो जिन पर किसी भी जंगली और सुरम्य नदी को California वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स ऐक्ट या फेडरल वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स ऐक्ट के अनुसार संरक्षण प्रदान किये जाते हैं।

(f) इस खंड में कुछ भी 2009 के Sacramento-San Joaquin डेल्टा सुधार अधिनियम (खंड 35 (धारा 85000 से शुरू होकर)) या कोई भी अन्य लागू कानून, जिसमें सार्वजनिक संसाधन संहिता का खंड 22.3 (धारा 32300 से शुरू होकर) शामिल है, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं है।

(g) इस खंड के द्वारा प्रदत्त धनराशियां प्रख्यात डोमेन के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जायेंगी।

(h) किसी भी अन्य कानून के होते हुए भी, इस खंड के अनुसार भूमि का अधिग्रहण करने वाली कोई भी एजेंसी 2000 के नेचुरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन टैक्स क्रेडिट ऐक्ट (सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 28 (धारा 37000 से शुरू होकर)) का उपयोग कर सकती है।

79712. (a) इस खंड के अंतर्गत पात्र आवेदकों में सार्वजनिक एजेंसियां, लाभेतर संगठन/संस्थायें, जनोपयोगी सेवायें, संघीय रूप से मान्यता प्राप्त इंडियन जनजातियां, मूल अमेरिकी विरासत आयोग की California जनजातीय परामर्श सूची पर दी गयीं राज्य की इंडियन जनजातियां, और पारस्परिक जल कम्पनियां आती हैं।

(b) (1) इस खंड के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु पात्र होने के लिए, किसी जनोपयोगी सेवा के द्वारा प्रस्तावित कोई प्रोजेक्ट जो जनोपयोगी सेवा आयोग या किसी पारस्परिक जल कम्पनी के द्वारा विनियमित है, उसका एक स्पष्ट और निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य होगा और वह जल प्रणाली के ग्राहकों को, न कि निवेशकों को, लाभ पहुँचायेगा।

(2) इस खंड के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु पात्र होने के लिए, एक शहरी जल आपूर्तिकर्ता शहरी जल प्रबंधन योजना अधिनियम (खंड 6 काभाग 2.6 (धारा 10610 से शुरू होकर)) के अनुसार एक शहरी जल प्रबंधन योजना अपनायेगा और प्रस्तुत करेगा।

1

(3) इस खंड के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु पात्र होने के लिए, कृषि के पानी का आपूर्तिकर्ता कृषि सम्बन्धी जल प्रबंधन योजना अधिनियम (खंड 6 का भाग 2.8 (धारा 10800 से शुरू होकर)) के अनुसार एक कृषि सम्बन्धी जल प्रबंधन योजना अपनायेगा और प्रस्तुत करेगा।

(4) धारा 10608.56 के अनुसार, कृषि के पानी का आपूर्तिकर्ता या कोई शहरी जल आपूर्तिकर्ता इस डिवीजन के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए अयोग्य होगा जब तक कि वह खंड 6 के भाग 2.55 (धारा 10608 से शुरू होकर)) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता हो ।

79713. धारा 79760 में अन्यथा प्रदत्त को छोड़ कर, विधानमंडल, इस खंड द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बना सकता है।

79714. (a) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, कोई भी ऐसी राज्य एजेंसी, जिसके पास इस बॉण्ड में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक या उससे अधिक को लागू करने का वैधानिक अधिकार हो, इस खंड के द्वारा उपलब्ध कराया गये धन से विनियोजन के लिए पात्र हो सकती है।

(b) इस खंड के द्वारा उपलब्ध करायी गयी वित्त पोषण राशि विधानमंडल के द्वारा किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए विनियोजित नहीं की जायेगी।

(c) इस खंड के अनुसार वित्त पोषित प्रोजेक्ट्स सार्वजनिक संसाधन संहिता की धारा 14507.5 में परिभाषित किये गये अनुसार California संरक्षण कोर्प्स या प्रमाणित समुदाय संरक्षण कोर्प्स की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

79715. इस खंड के अनुसार जारी किए गए और बेचे गये बॉण्ड्स से प्राप्त धनराशियां 2014 की पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचा सुधार निधि में जमा की जायेंगी, जिसे एतद्द्वारा राज्य के कोष में बनाया गया है।

79716. कानून द्वारा प्रदत्त किये अनुसार, इस खंड के द्वारा उपलब्ध कराये गये धन का एक विनियोजन प्राप्त करने वाली हर राज्य एजेंसी सफलता की मेट्रिक्स स्थापित करने और प्रोजेक्ट्स की स्थिति व वित्तपोषण राशि के सभी उपयोगों को राज्य की बॉण्ड जवाबदेही सम्बन्धी इंटरनेट वेबसाइट पर रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगी।

अध्याय 5. स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय पेय जल

79720. विधानमंडल के द्वारा निधि से विनियोजित किये जाने पर पाँच सौ बीस मिलियन डॉलर ($520,000,000) की राशि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, खर्चों, अनुदानों, और ऋणों हेतु उपलब्ध होगी, जो पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं या सभी California वासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय पेय जल उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।

79721. इस अध्याय के अनुसार वित्तपोषण के लिए योग्य प्रोजेक्ट्स लाभकारी उपयोग के लिए पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेंगे। इस अध्याय के उद्देश्य हैं:

(a) पीने के पानी की आपूर्तियों में दूषकों को कम करना, चाहे पानी या दूषण का स्रोत कुछ भी हो।

(b) पीने के पानी की आपूर्तियों के लिए दूषण के जोखिम का आकलन करना और प्राथमिकता निर्धारित करना।

(c) ऐसे वंचित, ग्रामीण, या छोटे समुदायों की महत्वपूर्ण और तात्कालिक जरूरतों को हल करना जो पीने के दूषित पानी की आपूर्ति से पीड़ित हैं, इनमें ऐसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातस्थिति को हल करते हैं।

(d) पीने के पानी की गुणवत्ता और अपशिष्ट जल प्रशोधन सम्बन्धी अन्य निजी, संघीय, राजकीय, और स्थानीय धनराशियों का लाभ उठाना।

(e) राज्य के पानी में दूषकों के स्राव को कम करना, और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(f) पीने के पानी की आपूर्तियों में और आगे होने वाले दूषण को रोकना।

(g) वंचित समुदायों को पीने के पानी का ऐसा बुनियादी ढाँचा प्रदान करना जो स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय पेय जल उपलब्ध कराये जिसे समुदाय लम्बे समय तक बनाये रख सकते हों।

(h) California के सभी समुदायों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित, विश्वसनीय, और सस्ते पेय जल की सुलभता सुनिश्चित करना।

(i) सुरक्षित पेय जल के प्राथमिक और गौण मानकों को पूरा करना या पेय जल के प्राथमिक या गौण मानक के विकास के लिए राज्य या संघीय सरकार द्वारा चिन्हित दूषकों को हटाना।

79722. ऐसे दूषक जिनका इस अध्याय के अनुसार किये जाने वाले वित्तपोषण से समाधान किया जा सकता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक शामिल नहीं है: नाइट्रेट्स, परक्लोरेट, MTBE (मिथाइल टर्शरीबुटाइल ईथर), आर्सेनिक, सेलेनियम, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, पारा, PCE (परक्लोरोइथाइलीन), TCE (ट्राइक्लोरोइथाइलीन), DCE (डाइक्लोरोईथीन), DCA (डाइक्लोरोईथेन), 1,2,3-TCP (ट्राइक्लोरोप्रोपेन), कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1,4-डाइऑक्सेन, 1,4 -डाइऑक्सासाइक्लोहेक्सेन, नाइट्रोसोडिमिथाइलामीन, ब्रोमाइड, लोहा, मैंगनीज, और यूरेनियम।

79723. धारा 79720 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, दो सौ साठ मिलियन डॉलर ($260,000,000) अपशिष्ट जल प्रशोधन प्रोजेक्ट्स हेतु अनुदानों के लिए धारा 13477.6 के अनुसार निर्मित राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण परिक्रमी निधि लघु समुदाय अनुदान निधि में जमा किये जाने के लिए उपलब्ध होंगे। प्राथमिकता उन प्रोजेक्ट्स को दी जायेगी जो वंचित समुदायों और गंभीर रूप से वंचित समुदायों की सेवा करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों को हल करते हैं। प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं तक शामिल नहीं हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपशिष्ट जल प्रणालियों को समेकित करने या सस्ती प्रशोधन टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय प्रक्रियाओं को चिन्हित करते हैं, उनकी योजना बनाते हैं, उन्हें डिजाइन करते हैं, और लागू करते हैं।

79724. (a) (1) धारा 79720 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, दो सौ साठ मिलियन डॉलर ($260,000,000) सार्वजनिक जल प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधारों और सुरक्षित पेय जल के मानकों को पूरा करने, व सस्ता पेय जल सुनिश्चित करने, या दोनों से सम्बन्धित कार्यों के लिए अनुदानों और ऋणों के लिए उपलब्ध होंगे। प्राथमिकता ऐसे प्रोजेक्ट्स को दी जायेगी जो दूषण के लिए प्रशोधन या ऐसे वंचित समुदायों में, जिनका पेय जल स्रोत रासायनिक व नाइट्रेट दूषकों और राज्य बोर्ड द्वारा चिन्हित स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य खतरों के द्वारा खराब कर दिया गया है, लघु समुदाय की जल प्रणालियों अथवा राज्य की लघु जल प्रणालियों के लिए वैकल्पिक पेय जल स्रोत या स्रोतों की सुलभता प्रदान करते हों। योग्य प्राप्तकर्ता वंचित समुदायों की सेवा करते हैं और वे सार्वजनिक जल प्रणालियां या सार्वजनिक एजेंसियां हैं। राज्य बोर्ड वित्तपोषण व्यवहार्यता अध्ययन के उद्देश्य के लिए और किसी निर्माण अनुदान के लिए पात्रता सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान दे सकता है। उपयुक्त खर्चों में वंचित समुदायों में काम कर रही प्रणालियों के लिए प्रारंभिक परिचालन और रखरखाव सम्बन्धी लागतें शामिल हो सकती हैं। प्राथमिकता ऐसे प्रोजेक्ट्स को दी जायेगी जो कई समुदायों के लिए साझा समाधान प्रदान करें, जिनमें से कम से का एक ऐसा वंचित समुदाय हो जिन्हें सुरक्षित, सस्ते पेय जल का अभाव हो और जिन्हें लघु समुदाय की जल प्रणाली अथवा राज्य की लघु जल प्रणाली, या किसी निजी कुँए के द्वारा सेवा दी जाती हो। निर्माण अनुदान प्रति प्रोजेक्ट पाँच मिलियन डॉलर ($5,000,000) तक सीमित होंगे, सिवाय इसके कि राज्य बोर्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो क्षेत्रीय लाभ प्रदान करते हों या जिन्हें कई इकाइयों के बीच साझा किया जाये, जिनमें से कम से कम एक छोटा वंचित समुदाय हो, अधिकतम बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) की सीमा निर्धारित कर सकता है। अनुदान का अधिकतम 25 प्रतिशत वास्तविक खर्चों के अग्रिम रूप में दिया जा सकता है।

(2) इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, "शुरुआती परिचालन और रखरखाव सम्बन्धी लागतों" का मतलब है किसी निर्माण के वित्त पोषण समझौते के तहत वे शुरुआती,

पात्र, और प्रतिपूर्ति-योग्य लागतें जो प्रोजेक्ट को पूरा समझा जाने के लिए निर्मित प्रोजेक्ट के शुरुआती स्टार्टअप परीक्षण तक और उसके सहित खर्च की जाती हैं। शुरुआती परिचालन और रखरखाव सम्बन्धी लागतें इस धारा के अनुसार अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने की हकदार हैं।

(b) प्रशासी इकाई पात्र समुदायों के लिए तकनीकी सहायता हेतु उपखंड (a) में आबंटित धनराशियों में से पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) तक खर्च कर सकती है।

(c) राज्य बोर्ड इस धारा के अनुसार उपलब्ध धनराशियों में से दो मिलियन पाँच सौ हजार डॉलर ($2,500,000) पेय जल पूँजीगत आरक्षित निधि में जमा करेगा, जो एतद्द्वारा राजकीय कोष में निर्मित किया जाता है। पेय जल पूँजीगत आरक्षित निधि में पैसा विधानमंडल के द्वारा किये जाने वाले विनियोजन पर उपलब्ध होगा, और उसे राज्य बोर्ड के द्वारा वंचित समुदायों के लिए मिलान निधियों के रूप में काम करने के लिए प्रशासित किया जाएगा। राज्य बोर्ड इस उपखंड को लागू करने के लिए मापदंड तैयार करेगा।

79725. (a) इस अध्याय के अंतर्गत वित्तपोषण राशि अवार्ड करने के उद्देश्यों के लिए, प्रोजेक्ट की कुल लागतों का कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय लागत हिस्सा आवश्यक होगा। लागत के बंटवारे सम्बन्धी आवश्यकता से ऐसे प्रोजेक्ट्स को छूट दी जा सकती है या इसे कम किया जा सकता है जो सीधे तौर पर वंचित समुदाय या एक आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्र को लाभ पहुँचाते हैं।

(b) इस अध्याय के अनुसार उपलब्ध धनराशियों का कम से कम 10 प्रतिशत गंभीर रूप से वंचित समुदायों की सेवा करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आबंटित किया जाएगा।

(c) इस अध्याय के अनुसार उपलब्ध धनराशियों का 15 प्रतिशत तक वंचित समुदायों के लिए तकनीकी सहायता हेतु आबंटित किया जा सकता है। इस धनराशि का प्रबंध करने वाली एजेंसी छोटे और वंचित समुदायों के लिए बहु-विषयक तकनीकी सहायता कार्यक्रम संचालित करेगी।

(d) वंचित समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए तकनीकी सहायता, सहित नियोजन गतिविधियों के लिए वित्तपोषण राशि, धनराशि का प्रबंध करने वाली राज्य एजेंसी के द्वारा नियोजन सम्बन्धी अतिरिक्त वित्तपोषण राशि के निर्धारण के आधीन, आबंटित धनराशियों के 15 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

अध्याय 6. नदियों, झीलों, धाराओं, तटीय जलों, और वाटरशेड्स का रक्षा करना

79730. इस अध्याय के अनुसार, एक बिलियन चार सौ पिच्चानवें मिलियन डॉलर ($1,495,000,000) की राशि, निधि से विधानमंडल के द्वारा किये जाने वाले विनियोजन पर, राज्यव्यापी प्राथमिकताओं के अनुसार बहुलाभीय पारिस्थितिकी तंत्र और वाटरशेड संरक्षण तथा बहाली सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स हेतु प्रतिस्पर्धी अनुदानों के लिए उपलब्ध होगी।

79731. धारा 79730 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, तीन सौ सत्ताइस मिलियन पाँच सौ हजार डॉलर ($327,500,000) की राशि निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार राज्य के वाटरशेड्स के लिए बहुलाभीय पानी की गुणवत्ता, जल आपूर्ति, और वाटरशेड संरक्षण तथा बहाली सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स के लिए आबंटित की जायेगी:

(a) Baldwin हिल्स कंजर्वैंसी, दस मिलियन डॉलर ($10,000,000)।

(b) California तहोए कंजर्वैंसी, पंद्रह मिलियन डॉलर ($15,000,000)।

(c) Coachella वैली माउंटेंस कंजर्वैंसी, दस मिलियन डॉलर ($10,000,000)।

(d) सागर संरक्षण काउंसिल, तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000)।

(e) San Diego रिवर कंजर्वैंसी, सत्रह मिलियन डॉलर ($17,000,000)।

(f) San Gabriel और लोअर Los Angeles रिवर्स एंड माउंटेंस कंजर्वैंसी, तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000)।

(g) San Joaquin रिवर कंजर्वैंसी, दस मिलियन डॉलर ($10,000,000)।

(h) Santa Monica माउंटेंस कंजर्वैंसी, तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000)।

(i) Sierra Nevada कंजर्वैंसी, पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000)।

(j) स्टेट कोस्टल कंजर्वैंसी, एक सौ मिलियन पाँच सौ हजार डॉलर ($100,500,000)। इस उपखंड के अनुसार आबंटित धनराशियों के लिए योग्य वाटरशेड्स में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, वे वाटरशेड्स जो San Francisco बे कंजर्वैंसी क्षेत्र, Santa Ana रिवर वाटरशेड, Tijuana रिवर वाटरशेड, Otay रिवर वाटरशेड, Catalina द्वीप, और मध्यवर्ती तट क्षेत्र।

(k) Sacramento-San Joaquin डेल्टा कंजर्वैंसी, पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000)।

79732. (a) California की नदियों, झीलों, धाराओं, और वाटरशेड्स की रक्षा करने और उन्हें बहाल करने में, इस अध्याय के उद्देश्य हैं:

(1) स्वस्थ वाटरशेड, मत्स्य संसाधनों, और धारा में बहने वाले पानी से उत्पन्न होने वाले आर्थिक लाभों को संरक्षित करना और उनमें में वृद्धि करना।

(2) California के समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वाटरशेड अनुकूलन प्रोजेक्ट्स को लागू करना।

(3) राज्य भर में रिवर पार्कवेज पुनर्स्थापित करना, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, California रिवर पार्कवेज ऐक्ट ऑफ 2004 के अनुसार प्रोजेक्ट्स (सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 5 का अध्याय 3.8 (धारा 5750 से शुरू होकर)), धारा 7048 के अनुसार स्थापित शहरी धारायें बहाली कार्यक्रम, और अर्बन रिवर ग्रीनवेज।

(4) जलीय, आर्द्रभूमि, और प्रवासी पक्षी पारिस्थितिक तंत्र, जिनमें मछली और वन्य जीव गलियारे और धारा में बहने वाले पानी के लिए जल अधिकारों का अधिग्रहण शामिल है, को सुरक्षित रखना और बहाल करना।

(5) जल संसाधन से सम्बन्धित बहुदलीय निपटान समझौतों की शर्तों के अनुपालन में California राज्य के दायित्वों को पूरा करना।

(6) मछली के रास्ते की रुकावटों को हटाना।

(7) California और California की सेंट्रल वैली में आर्द्रभूमि की देशी मछली की सुरक्षा में संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(8) जंगल की आग के जोखिमों को कम करने के लिए ईंधन प्रशोधन प्रोजेक्ट्स लागू करना, जल भंडारण की सुविधा के लिए वाटरशेड सहायक नदी की रक्षा करना, और वाटरशेड स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।

(9) वाटरशेड भंडारण क्षमता, वन स्वास्थ्य, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, तूफानी जल संसाधन प्रबंधन, और ग्रीनहाउस गैस की कमी में सुधार लाने के लिए ग्रामीण और शहरी वाटरशेड स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बहाल करना।

(10) तटीय वाटरशेड्स, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, खाड़ियां, समुद्री मुहाने, और तट के समीप के पारिस्थितिक तंत्र, की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना।

(11) नदियों, झीलों, धाराओं, या तटीय जलों के प्रदूषण या दूषण को कम करना, विरासत में मिली खानों से पारे के दूषण को रोकना और उसका निदान करना, और उस प्राकृतिक कार्य प्रणाली के कार्यों की सुरक्षा करना या उन्हें बहाल करना जो पानी की आपूर्ति, जल गुणवत्ता, या बाढ़ प्रबंधन के प्रति योगदान देती है।

1

(12) वाटरशेड स्वास्थ्य, धारा में बहने वाले पानी मछली के रास्ते, तटीय या देशी आर्द्रभूमि बहाली, या अन्य साधनों, जैसे कि प्राकृतिक समुदाय संरक्षण योजना और प्राकृतिक वास संरक्षण योजना के कार्यान्वियन में सुधार लाकर विलुप्तप्राय, संकटग्रस्त, या प्रवासी प्रजातियों की बहाली में मदद करना।

(13) पानी से सम्बन्धित कृषि सुस्थिरता सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स में सहायता करना।

(b) इस अध्याय के द्वारा प्रदान की गयी धनराशियां केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जायेंगी जो मत्स्य पालन या पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे लाभ या सुधार करेंगे जो पर्यावरण को हल्का करने के आवश्यक लागू उपायों या अनुपालन दायित्वों से अधिक हों।

79733. धारा 79730 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशियों में से, दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) की राशि वन्यजीव संरक्षण मंडल के द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लागू की जायेगी जिनके परिणामस्वरूप धाराओं में पानी के प्रवाह बढ़ जायेंगे।

79734. इस अध्याय के अंतर्गत बहाली और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स के लिए, जब भी संभाव्य हो, California कंजर्वैंसी कोर्प्स या California कंजर्वैंसी कोर्प्स के द्वारा प्रमाणित किसी स्थानीय संरक्षण कोर्प्स की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा।

79735. (a) धारा 79730 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, विधानमंडल के द्वारा विनियोजित किये जाने पर, एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) शहरी क्रीक की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा धारा 7048 के उपखंड (e) में परिभाषित किया गया है, और सार्वजनिक संसाधन संहिता और धारा 79508 के खंड 22.8 (धारा 32600 से शुरू होकर) और खंड 23 (धारा 33000 से शुरू होकर) के अनुसार उसकी सहायक नदियों के लिए उपलब्ध होंगे ।

(b) (1) धारा 79730 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, बीस मिलियन डॉलर ($20,000,000) सचिव को शहरी वाटरशेड्स में बहुलाभीय वाटरशेड और शहरी नदियों में बढोत्तरी सम्बन्धी ऐसे प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण हेतु किसी प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे जो क्षेत्रीय और स्थानीय जल-आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हों और जो निम्नलिखित में से कम से कम दो उद्देश्यों को पूरा करते हों:

(A) भूजल पुनर्भरण और जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा देना।

(B) ऊर्जा की खपत को कम करना।

(C) अधिप्रवाही पानी के प्रशोधन के लिए मिट्टी, पौधों, और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना।

(D) मूल प्राकृतिक वास बनाना या बहाल करना।

(E) जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय लचीलापन और अनुकूलनशीलता बढ़ाना।

(2) इस उपखंड के तहत कार्यक्रम राज्य कंजर्वैन्सीज, वन्यजीव संरक्षण मंडल, राज्य बोर्ड, या सचिव के द्वारा निर्दिष्ट किये गये अनुसार ऐसी अन्य संस्थाओं के द्वारा लागू किया जायेगा जिनके कार्यक्षेत्र में शहरी वाटशेड्स शामिल हों। कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित प्रोजेक्ट्स कंजर्वैन्सीज, वन्यजीव संरक्षण बोर्ड, राज्य बोर्ड, या सचिव के साथ परामर्श द्वारा निर्दिष्ट अन्य संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गयी योजना का हिस्सा होंगे।

(c) इस खंड के अनुसार उपलब्ध धनराशियों में से कम से कम 25 प्रतिशत ऐसे प्रोजेक्ट्स को आबंटित की जायेगी जो वंचित समुदायों को लाभ पहुँचाते हों।

(d) इस खंड के अनुसार उपलब्ध धनराशियों में से कम से कम 10 प्रतिशत प्रोजेक्ट की योजना के लिए आबंटित की जा सकती है।

79736. धारा 79730 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, चार सौ पिछत्तर मिलियन डॉलर ($475,000,000) ऐसे प्रोजेक्ट्स की सहायता करने के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को उपलब्ध होंगे जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त का अनुपालन करने में California राज्य के दायित्वों को पूरा करते हों:

(a) सेंट्रल वैली प्रोजेक्ट सुधार अधिनियम (पब्लिक लॉ 102-575 का शीर्षक 34) की धारा 3406 का उपखंड (d)।

(b) सरकारी संहिता के शीर्षक 7.42 (धारा 66905 से शुरू होकर) के अनुसार सरकारी संहिता की धारा 66801 में बताये गये अंतरराज्यीय कॉम्पैक्ट्स।

(c) 2003 के कानूनों के अध्यायों 611, 612, 613, और 614 में बताये गये अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रोजेक्ट्स सहित, अंतरराज्यीय या बहुपक्षीय जल मात्रा निर्धारण निपटान समझौते के प्रावधान।

(d) मछली और खेल संहिता की धारा 2080.2 में संदर्भित निपटान समझौते।

(e) पानी से सम्बन्धित किसी भी अंतरराज्यीय या बहुपक्षीय निपटान समझौते पर 31 दिसम्बर, 2013 को या उससे पहले की गयी कार्यवाही। निम्नलिखित मापदंडों में से एक या उससे अधिक को पूरा करने वाले प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी:

(1) प्रोजेक्ट राज्यव्यापी महत्व का हो।

(2) प्रोजेक्ट पक्षियों और जलीय प्रजातियों के लिए प्राकृतिक जलीय या नदी तट से सम्बन्धित कार्यों, या आद्रभूमि सम्बन्धी प्राकृतिक वास पुनर्स्थापित करता हो।

(3) प्रोजेक्ट संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करता हो या उनकी बहाली को बढ़ावा देता हो।

(4) प्रोजेक्ट क्षेत्रीय या अंतरक्षेत्रीय आधार पर पानी की आपूर्ति की विश्वसनीयता को बढ़ाता हो।

(5) प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रीय या राज्यव्यापी आर्थिक लाभ प्रदान करता हो।

79737. (a) धारा 79730 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, दो सौ पिचासी मिलियन डॉलर ($285,000,000) इस अध्याय के अनुसार राज्यव्यापी वाटरशेड बहाली सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स हेतु मछली और वन्य जीव विभाग के लिए उपलब्ध होंगे।

(b) इस खंड के उद्देश्यों के लिए वाटरशेड बहाली में तटीय आर्द्रभूमि प्राकृतिक वास का वित्तपोषण करने, वन स्वास्थ्य में सुधार करने, पहाड़ी घास के मैदान बहाल करने, धारा क्रॉसिंग, पुलियों, और पुलों का आधुनिकीकरण करने, ऐतिहासिक बाढ़ के मैदानों को जोड़ने, फिश स्क्रीन्स स्थापित करने या उनमें सुधार करने, मछलियों के लिए रास्ते प्रदान करने, नदी चैनलों को बहाल करने, नदी तट से सम्बन्धित, जलीय, स्थलीय प्रकृतिक वास को बहाल करने या उन्हें बढ़ाने, पारिस्थितिक कार्यों में सुधार करने, नदी तट से सम्बन्धित बफर पट्टियों यानि स्ट्रिप्स के लिए इच्छुक विक्रेताओं से संरक्षण सम्बन्धी ईजमेंट्स यानि भोगाधिकार अधिग्रहण करने, स्थानीय वाटरशेड प्रबंधन में सुधार करने, और तलछट या कचरा हटाने सम्बन्धी गतिविधियां शामिल हैं।

(c) इस खंड के अनुसार उपलब्ध किन्हीं भी ऐसी धनराशियों के लिए जिनका इस्तेमाल मत्स्य बहाली अनुदान कार्यक्रम के तहत अनुदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, तटीय जलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(d) इस खंड के अनुसार प्रोजेक्ट्स के लिए धनराशियां आबंटित करने में, मछली और वन्य जीव विभाग केवल डेल्टा के बाहर राज्यव्यापी महत्व के जल गुणवत्ता, नदी, और वाटरशेड सुरक्षा व बहाली सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स के लिए धन उपलब्ध कराएगा।

(e) इस खंड के द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशियां डेल्टा वाहन सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, परिचालन, शमन, या रखरखाव की लागत का भुगतान करने के लिए खर्च नहीं की जायेंगी।

(f) इस खंड के द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशियां केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जायेंगी जो मत्स्य पालन या पारिस्थितिकी तंत्र सम्बन्धी ऐसे लाभ या सुधार प्रदान करें जो, सेंट्रल वैली प्रोजेक्ट सुधार अधिनियम (पब्लिक लॉ 102-575 का शीर्षक 34) की धारा 3406 के उपखंड (d) के लाभ हेतु किसी भी पानी के स्थानान्तरण को छोड़ कर, पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यक लागू शमन उपायों या अनुपालन दायित्वों से अधिक हों।

79738. (a) धारा 79730 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, सतासी मिलियन पाँच सौ हजार डॉलर ($87,500,000) मछली और वन्य जीव विभाग को पानी की गुणवत्ता, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, और मछली के संरक्षण

सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं के लिए उपलब्ध होंगे जो डेल्टा को लाभ पहुँचायें, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट्स या जो डेल्टा में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए योगदान करते हों, जिनमें डेल्टा काउंटियों के ऐसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो विविध सार्वजनिक लाभ प्रदान करें और पेय जल व कृषि जल की गुणवत्ता या पानी की आपूर्ति में सुधार करें।

(2) डेल्टा और डेल्टा काउंटियों में विशेष दर्जा प्राप्त, विलुप्य प्राय, या संकटग्रस्त प्रजातियों की हालत में सुधार करने के लिए प्राकृतिक वास बहाली, संरक्षण, और वृद्धि सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स, जिनमें आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन करने वाले प्रोजेक्ट्स, और ऐसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो प्राकृतिक वास बहाली और तटबंध सुधारों के लिए तलछट सामग्री के लाभकारी पुन: उपयोग का समर्थन करते हों।

(3) ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन और आकलन जो धारा 85280 में, या इस खंड के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स में वर्णित किये गये अनुसार डेल्टा विज्ञान कार्यक्रम का समर्थन करते हों।

(b) इस खंड को क्रियान्वित करने में विभाग उस डेल्टा शहर या डेल्टा काउंटी के साथ समन्वय स्थापित करेगा और परामर्श करेगा जिसमें अनुदान खर्च किया जाना प्रस्तावित है या अचल संपत्ति में किसी अधिकार का अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव है।

(c) इस खंड के अनुसार अधिग्रहण केवल इच्छुक विक्रेताओं से ही किये जायेंगे।

(d) इस खंड को क्रियान्वित करने में राज्य एजेंसियां, संभाव्य सीमा तक, सार्वजनिक भूमि पर प्रोजेक्ट्स या निजी भूमि पर स्वैच्छिक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों को प्राथमिकता देंगी।

(e) इस खंड के अनुसार उपलब्ध धनराशियां प्रख्यात डोमेन के जरिये भूमि अधिग्रहण करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जायेंगी।

(f) इस खंड के अनुसार उपलब्ध धनराशियां डेल्टा परिवहन सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, परिचालन, शमन, या रखरखाव की लागतों का भुगतान करने के लिए खर्च नहीं की जायेंगी।

अध्याय 7. क्षेत्रीय जल सुरक्षा, जलवायु और सूखे की तैयारी

79740. विधानमंडल द्वारा विनियोजन करने पर अपनाई गई एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना में क्रियान्वित और शामिल उन प्रोजेक्ट्स पर खर्च, और प्रतिस्पर्धी अनुदान तथा ऋण के लिए निधि से आठ सौ दस मिलियन डॉलर ($810,000,000) की राशि उपलब्ध होगी जो खंड 6 के भाग 2.2 (धारा 10530 से शुरू होकर) से सुसंगत है और जलवायु परिवर्तन के जवाब में है तथा क्षेत्रीय जल सुरक्षा के प्रति योगदान करते हैं जैसा कि इस अध्याय में दिया गया है।

79741. क्षेत्रीय जल आत्मनिर्भता सुधारने और जलापूर्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल बनाने के लिए, इस अध्याय के उद्देश्य हैं :

(a) जल संरचना प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करना जिसमें समुद्री स्तर बढ़ना शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं।

(b) क्षेत्र के जल संसाधनों के प्रबंधन और जल आधार संरचनाओं की क्षेत्रीय प्राथमिकताएं तय करने में सहयोग के लिए प्रत्येक वाटरशेड की सभी जल एजेंसियों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(c) धारा 85021 से सुसंगत क्षेत्रीय जल आत्मनिर्भरता में सुधार लाना।

79742. (a) किसी वाटरशेड में प्रोजेक्ट्स के बीच चयन करते समय, प्रशासनिक राज्य एजेंसी द्वारा उस अपनाई गई समेकित क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना के कार्यक्षेत्र पर विचार किया जा सकता है, उसमें भी वाटरशेड के बड़े भाग को शामिल करने वाली योजनाओं के प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है। यदि योजना काफी हद तक सभी वाटरशेड शामिल करती है, तो योजना की प्रोजेक्ट्स प्राथमिकताओं को सम्मान दिया जाएगा बशर्ते प्रोजेक्ट और योजना इस खंड और समेकित जल प्रबंधन योजना अधिनियम(खंड 6 के भाग 2.2 (धारा 10530 के साथ शुरू)) की ज़रूरतों को अन्यथा पूरा करते हों।

(b) कोई स्थानीय एजेंसी जो अपनी भूजल योजना खंड 6 (धारा 10000 से शुरू होकर) के अंतर्गत स्थापित भूजल योजना की जरूरतों के अनुसार तैयार, चयन या जमा नहीं करती, वह इस अध्याय के अनुसार उपलब्ध धनराशियों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगी जब तक कि योजना उस भाग की ज़रूरतों के अनुसार तैयार कर जमा न करा दी जाए। उस जल पुनर्भरण डिस्ट्रिक्ट जो खंड 18 (धारा 60000 से शुरू होकर) के अनुसार गठित किया गया हो या वैसी स्थानीय एजेंसी जो भूजल बेसिन का प्रबंध करती हो या उसे किसी निर्णीत भूजल बेसिन के प्रबंधन का प्राधिकार हो, पर भूजल जल प्रबंधन योजना की ज़रूरतें लागू नहीं होंगी।

(c) इस अध्याय के अंतर्गत धनराशि आबंटित करने के उद्देश्य हेतु, गैरराज्य स्रोतों से लागत का हिस्सा प्रोजेक्ट की कुल लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। लागत के बंटवारे सम्बन्धी आवश्यकता से ऐसे प्रोजेक्ट्स को छूट दी जा सकती है या इसे कम किया जा सकता है जो सीधे तौर पर वंचित समुदाय या एक आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्र को लाभ पहुँचाते हैं।

(d) इस अध्याय के अंतर्गत अधिकृत निधियों का कम से कम 10 प्रतिशत उन प्रोजेक्ट्स के लिए आबंटित किया जाएगा जो सीधे तौर पर वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले होंगे।

(e) इस अध्याय के अंतर्गत धनराशि आबंटित कराने के उद्देश्य हेतु, आवेदक को प्रदर्शित करना होगा कि समेकित जल प्रबंधन योजना को जो प्रोजेक्ट आवेदक क्रियान्वित करेगा, वह क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जलापूर्ति के खतरों और जल आधार संरचना को संबोधित करता है।

(f) बहुलाभकारी प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

79743. क्षेत्रीय जल प्रबंधन समूह में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के निर्धारण के अधीन, पात्र प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकते हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमिति नहीं हैं, जो निम्नलिखित में से किसी को बढ़ावा देते हों:

(a) गैर-पेयजल के रूप में और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर-पेयजल के रूप में पुन: उपयोग के लिए जल का पुन: उपयोग और रीसाइकिलिंग।

(b) जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण।

(c) स्थानीय और क्षेत्रीय सतही तथा भूमिगत जल भंडारण, जिसमें भूजल जलभृत की सफाई और रीचार्ज प्रोजेक्ट्स शामिल हों।

(d) क्षेत्रीय जल परिवहन सुविधा जो अलग जल प्रणालियों के समेकन में सुधार लाती हो।

(e) वाटरशेड सुरक्षा, बहाली, और प्रबंधन प्रोजेक्ट्स, जिसमें वे प्रोजेक्ट्स शामिल हों जिनसे जंगल की आग का खतरा कम होता हो और जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार होता हो।

(f) तूफानी जल संसाधन प्रबंधन, में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं:

(1) वर्षा जल या तूफानी जल को घटाने, प्रबंधित करने, उपचारित करने या संग्रहित करने वाले प्रोजेक्ट्स।

(2) जल गुणवत्ता, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण या खुली जगह जैसी बहु-लाभकारी सुविधा प्रदान करने वाले प्रोजेक्ट्स।

(3) वैसे निर्णय समर्थन उपकरण जो बहुलाभकारी तूफानी जल प्रोजेक्ट्स की लागत और लाभ का मूल्यांकन करते हों।

(4) तूफानी जल संसाधन योजना का क्रियान्वयन करने वाले खंड 6 के भाग 2.3 (धारा 10560 से शुरू होकर) के अनुसार विकसित प्रोजेक्ट्स।

(g) सतही और भूजल भंडारण सुविधाओं का संयुक्त उपयोग।

1

(h) जल विलवणीकरण प्रोजेक्ट्स।

(i) जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय मांग और आपूर्ति में अन्य परिवर्तनों के अनुमानों की गणना के लिए क्षेत्रीय जल प्रबंधन रणनीतियों का मॉडल बनाने हेतु निर्णय समर्थन उपकरण।

(j) जल की गुणवत्ता में सुधार, जिसमें पेयजल के उपचार और वितरण भूजल और जलभृत स्तर में सुधार, जल उपयोग के साथ जल गुणवत्ता का मिलान, अपशिष्ट जल प्रशोधन, जल प्रदूषण की रोकथाम और शहरी तथा कृषि अपवाह का प्रबंधन शामिल है।

79744. (a) धारा 79740 के द्वारा अधिकृत धनराशियों में से पांच सौ दस मिलियन डॉलर ($510,000,000) California जल योजना में चिन्हित जलीय क्षेत्रों के लिए इस धारा के अनुसार आबंटित किए जाएंगे। दक्षिणी तटीय जलीय क्षेत्र के लिए, विभाग तीन वित्तपोषण क्षेत्र स्थापित करेगा जो San Diego काउंटी और दक्षिणी Orange काउंटी (San Diego उपक्षेत्र के रूप में नामित), Santa Ana रिवर वाटरशेड (Santa Ana उपक्षेत्र के रूप में नामित), Los Angeles और Ventura काउंटी वाटरशेड (Los Angeles उपक्षेत्र के रूप में नामित) को प्रदर्शित करते हैं, तथा इस उपखंड के अनुसार उन क्षेत्रों के लिए धनराशियां आबंटित करेगा। उत्तरी और दक्षिणी Lahontan जलीय क्षेत्र को धन आबंटन के उद्देश्य से एक क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। इस उपखंड के उद्देश्यों हेतु, Sacramento रिवर जलीय क्षेत्र में Delta को शामिल नहीं है। इस उपखंड के उद्देश्यों हेतु, Sacramento रिवर जलीय क्षेत्र या San Joaquin रिवर जलीय क्षेत्र से धनराशियों के लिए माउंटेन काउंटीज के ऊपरी भाग पात्र नहीं है। एकाधिक समेकित क्षेत्रीय प्रबंधन योजनाओं की पहचान आबंटित वित्तपोषण के प्रत्येक क्षेत्र में हो सकती है।

(b) इस अध्याय के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशियों का आबंटन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :

(1) उत्तरी तटीय जलीय क्षेत्र के लिए छब्बीस मिलियन और पांच सौ हजार डॉलर ($26,500,000)।

(2) San Francisco बे जलीय क्षेत्र के लिए पैंसठ मिलियन डॉलर ($65,000,000)।

(3) मध्य तटीय जलीय क्षेत्र के लिए तैंतालीस मिलियन डॉलर ($43,000,000)।

(4) Los Angeles उपक्षेत्र के लिए अट्ठानबे मिलियन डॉलर ($98,000,000)।

(5) Santa Ana उपक्षेत्र के लिए तिरेसठ मिलियन डॉलर ($63,000,000)।

(6) San Diego उपक्षेत्र के लिए बावन मिलियन और पांच सौ हजार डॉलर ($52,500,000)।

(7) Sacramento रिवर जलीय क्षेत्र के लिए सैंतीस मिलियन डॉलर ($37,000,000)।

(8) San Joaquin रिवर जलीय क्षेत्र के लिए इकत्तीस मिलियन डॉलर ($31,000,000)।

(9) Tulare/Kern जलीय क्षेत्र के लिए चौंतीस मिलियन डॉलर ($34,000,000)।

(10) उत्तरी/दक्षिणी Lahontan जलीय क्षेत्र के लिए चौबीस मिलियन और पांच सौ हजार डॉलर ($24,500,000)।

(11) Colorado रिवर बेसिन जलीय क्षेत्र के लिए बाईस मिलियन और पांच सौ हजार डॉलर ($22,500,000)।

(12) माउंटेन काउंटीज के ऊपरी भाग के लिए तेरह मिलियन डॉलर ($13,000,000)।

79745. जल संसाधन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वंचित समुदायों, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 79744 में निर्दिष्ट क्षेत्रीय आबंटन सेकम से कम 10 प्रतिशत धनराशियों का या तो प्रत्यक्ष रूप से या गैर-प्रतिस्पर्धी अनुदान के लिए विस्तार करेगा।

79746. (a) धारा 79740 के द्वारा अधिकृत धनराशियों में से एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) की राशि का उपयोग निम्नलिखित जल संरक्षण और जल उपयोग दक्षता योजना, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम के लिए सीधे खर्च, अनुदान या ऋण के रूप में उपयोग किया जा सकता है:

(1) धारा 10608.20 के अनुसार विकसित शहरी जल उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम, जिनमें शहरी जल संरक्षण योजनाएं, प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रम शामिल हैं। वित्तपोषण के लिए उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी जो निम्नलिखित में से कोई कार्य करते हों :

(A) जल आपूर्तिकर्ताओं और क्षेत्रों को उन संरक्षण कार्यक्रमों तथा उपायों को लागू करने में मदद करना, जहाँ स्थानीय स्तर पर ये लागत प्रभावी न हों।

(B) जल आपूर्तिकर्ताओं और वाणिज्यिक, औद्योगिक और सांस्थानिक जल उपयोगकर्ताओं की जल उपयोग दक्षता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को लागू करने के लिए क्षेत्रीय प्रयासों का समर्थन करते हों।

(C) राज्य भूदृश्य मॉडल अध्यादेश के प्रावधानों के संरक्षण के लाभों को साकार करने के उपायों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले क्षेत्रों और जल आपूर्तिकर्ताओं की मदद करते हों।

(2) कृषि जल प्रबंधन या कृषि जल उपयोग दक्षता प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों जोखंड 6 के भाग 2.8 (धारा 10800 से शुरू होकर) के अनुसार विकसित किए गए हों।

(b) धारा 1011 संरक्षण के उन सभी उपायों पर लागू होती है जिसे चाहे इस अध्याय के अंतर्गत वित्तपोषित शहरी जल आपूर्तिकर्ता क्रियान्वित करे या कृषि जल आपूर्तिकर्ता। यह उपखंड किसी जल आपूर्ति करने वाले द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स या अन्य उपाय को धारा 1011 के प्रयोग तक सीमित नहीं करता। बावजूद धारा 79748 के, इस धारा के अनुसार वित्तपोषित प्रोजेक्ट्स को अपनाई गई समेकित क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना में रखने या उस प्रोग्राम के अनुपालन करने की जरूरत नहीं पड़ती।

79747. (a) धारा 79740 के द्वारा अधिकृत धनराशियों में से, दो सौ मिलियन डॉलर ($200,000,000) बहुलाभकारी तूफानी जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध होंगे।

(b) पात्र प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकते हैं, हरित बुनियादी ढांचा, वर्षाजल और तूफानी जल को संग्रहित करने वाले प्रोजेक्ट्स और तूफान जल प्रशोधन सुविधाएं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

(c) तूफानी जल प्रोजेक्ट्स का विकास प्रभावित जल मार्ग के समीपवर्ती खास तौर से वंचित समुदायों को समाहित करने के दृष्टिकोण और पूरे वाटरशेड को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

79748. एक जलभृत में भूजल की गुणवत्ता या आपूर्ति को संबोधित करने के लिए, इस अध्याय के द्वारा अधिकृत वित्तपोषण के लिए, आवेदक को यह दर्शाना होगा कि किसी सार्वजनिक एजेंसी के पास उस जलभृत में जल संसाधनों का प्रबंधन करने का प्राधिकार है। खंड 6 (धारा 10000 से शुरू होकर) के अंतर्गत स्थापित भूगर्भ जल प्रबंधन योजना की ज़रूरतों के अनुसार चयनित और प्रस्तुत कोई भूजल प्रबंधन योजना, इस धारा की ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए प्रर्याप्त मानी जाएगी।

अध्याय 8. राज्य-व्यापी जल प्रणाली परिचालन सुधार और सूखे की तैयारी

79750. (a) धारा 162 के होते हुए भी, आयोग, निदेशक के विचारों से स्वतंत्र इस अध्याय द्वारा उससे अपेक्षित निर्धारण, निष्कर्ष और सिफारिशें कर सकता है। आयोग द्वारा Bagley-Keene सार्वजनिक बैठक अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 9 (धारा 11120 से शुरू होकर)) के अनुरूप सूचित और आयोजित सार्वजनिक बैठक में आयोग के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा इस अध्याय के कार्यान्वयन के लिए सभी अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

(b) सरकारी संहिता की धारा 13340 के होते हुए भी, वित्तीय वर्षों का लिहाज़ किए बिना, राज्य की जल प्रणाली के परिचालन में सुधार करने वाली जल भंडारण परियोजनाओं से जुड़े सार्वजनिक लाभ के लिए आयोग को दो बिलियन सात सौ मिलियन डॉलर ($2,700,000,000) की राशि का एतद्द्वारा निधि से सतत विनियोजन जारी है, ये किफ़ायती हैं और इस अध्याय के अनुरूप, पारिस्थितिकी तंत्र में तथा पानी की गुणवत्ता में विशुद्ध सुधार करते हैं। इस अध्याय के अनुरूप आयोग के लिए अधिकृत, या उसको उपलब्ध कराई गई निधि केवल इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई और खर्च की जाएगी, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए विधानमंडल या गवर्नर द्वारा विनियोजित या अंतरित नहीं की जाएगी।

(c) आयोग द्वारा परियोजनाओं का प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, जो इस अध्याय के तहत स्थापित मानदंडों के अनुसार, सार्वजनिक लाभ के लिए उपलब्ध कराई गई मात्रा द्वारा परिमित, सार्वजनिक निवेश के लिए प्रत्याशित लाभ पर आधारित संभाव्य परियोजना के रूप में योग्य हों।

(d) इस अध्याय द्वारा प्रदान की गई धनराशि से निर्मित कोई भी परियोजना, धारा 11590 के अधीन होगी।

79751. परियोजनाओं में, जिसके लिए सार्वजनिक लाभ इस अध्याय के तहत वित्त-पोषण के लिए पात्र हैं, केवल निम्नलिखित शामिल होंगे :

(a) सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 5 के अध्याय 1.4 द्वारा निषिद्ध (धारा 5093.50 से शुरू होकर) परियोजनाओं को छोड़ कर, दिनांक 28 अगस्त, 2000 के काफ़्ड बे डेल्टा कार्यक्रम के निर्णय रिकॉर्ड में चिह्नित भूतल भंडारण परियोजनाएँ।

(b) जल भंडारण लाभ प्रदान करने वाली भूजल भंडारण परियोजनाएँ और भूजल प्रदूषण की रोकथाम या उपचारात्मक परियोजनाएँ।

(c) संयुक्त उपयोग और जलाशय पुनर्परिचालन परियोजनाएँ।

(d) राज्य में जल प्रणालियों के संचालन में सुधार करने वाली और सार्वजनिक लाभ प्रदान करने वाली स्थानीय और क्षेत्रीय भूतल भंडारण परियोजनाएँ।

79752. इस अध्याय के अनुरूप किसी परियोजना को तब तक वित्त पोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह डेल्टा पारिस्थितिकी तंत्र या डेल्टा की सहायक नदियों में परिमेय सुधार प्रदान करे।

79753. (a) इस अध्याय के अनुरूप आबंटित निधियों को जल भंडारण परियोजनाओं से जुड़े जनता के निम्नलिखित लाभों के लिए पूरी तरह से खर्च किया जा सकता है :

(1) पारिस्थितिक तंत्र और डेल्टा में मछली तथा वन्य जीवन सहित जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और देशी मछली और वन्य जीवन की बहाली में योगदान देने वाले जल विचलन समय बदलने सहित, प्रवाह की स्थिति, तापमान, या अन्य सुविधाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार।

(2) डेल्टा या अन्य नदी प्रणालियों की जल गुणवत्ता में सुधार, जो महत्वपूर्ण लोक विश्वास संसाधन उपलब्ध कराते हैं, या भूजल संसाधनों को साफ़ और बहाल करते हैं।

(3) बाढ़ नियंत्रण लाभ, जिसमें शामिल है लेकिन इसी तक सीमित नहीं, California के बदलते जल-विज्ञान और जल तथा बाढ़ प्रबंधन प्रणाली पर बर्फ़ पैक के घटते प्रभाव के बदले में मौजूदा जलाशयों में बाढ़ संरक्षण के लिए जगह में बढ़ोतरी या वर्धित जल भंडारण क्षमता।

(4) आपातकालीन प्रतिक्रिया, जिसमें शामिल है लेकिन इसी तक सीमित नहीं, प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी कार्रवाई के बाद तनुकरण और लवणता प्रतिकर्षण के लिए आपात स्थिति में जल आपूर्ति और प्रवाह हासिल करना।

(5) मनोरंजन गतिविधियाँ, जिसमें शामिल है लेकिन इसी तक सीमित नहीं, वे मनोरंजन प्रयोजन जो आम तौर पर आउटडोर से जुड़े हैं।

(b) इस खंड में वर्णित रूप में जनता को लाभ प्रदान करने वाले कार्यों के लिए उपलब्ध कराने के अलावा, इस अध्याय के अनुरूप पर्यावरण शमन उपायों या अनुपालन दायित्वों की लागत के लिए निधियाँ खर्च नहीं की जाएँगी।

79754. मछली और वन्य जीव विभाग, राज्य बोर्ड और जल संसाधन विभाग के परामर्श से आयोग, विनियमन द्वारा 15 दिसंबर, 2016 तक धारा 79753 में वर्णित मात्रा निर्धारण तथा सार्वजनिक लाभ प्रबंधन के लिए तरीके विकसित करेगा और अपनाएगा। विनियमों में मछली और वन्य जीव विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकताएँ और पारिस्थितिकी तंत्र लाभ के प्रासंगिक पर्यावरण मूल्य तथा राज्य बोर्ड द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुसार जल गुणवत्ता लाभ की प्राथमिकताएँ और प्रासंगिक पर्यावरण मूल्य शामिल होंगे।

79755. (a) उपखंड (c) में किए गए प्रावधान के अनुसार, इस अध्याय के अनुरूप किए गए आबंटन के अलावा, 15 दिसंबर, 2016 से पहले आयोग द्वारा निम्न सभी के संपन्न होने के दृढ़ संकल्प के आधार पर परियोजना को मंजूरी दिए जाने तक कोई निधि आबंटित नहीं की जाएगी :

(1) आयोग ने धारा 79754 में निर्दिष्ट नियमों को अपनाया है और विशेष रूप से मात्रा निर्धारित की है तथा परियोजना से जुड़े सार्वजनिक लाभ की लागत को सार्वजनिक किया गया है।

(2) धारा 79753 में परिभाषित रूप से परियोजना आवेदक ने परियोजना से सार्वजनिक लाभ के अलावा अन्य लाभ प्राप्त करने वाली हर पार्टी के साथ एक अनुबंध प्रविष्ट किया है जो सुनिश्चित करता है कि पार्टी द्वारा परियोजना की कुल लागत में अपने हिस्से का भुगतान किया जाएगा। पार्टी के लिए उपलब्ध लाभ, कुल परियोजना लागत में पार्टी की हिस्सेदारी के साथ संगत होगा।

(3) परियोजना आवेदक ने धारा 79754 में चिह्नित सार्वजनिक लाभ को प्रशासित करने वाली हर सार्वजनिक एजेंसी के साथ अनुबंध प्रविष्ट किया है, जिसके बाद, एजेंसी यह पता लगाती है कि परियोजना के सार्वजनिक प्रयोजनों के संबंध में, जिसके लिए वह जिम्मेदार है, इस अध्याय की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि इस अध्याय के अनुरूप निधियों में सार्वजनिक योगदान, परियोजना के लिए अंकित सार्वजनिक लाभ हासिल करता है।

(4) इस उपखंड के अनुरूप तैयारी के लिए अपेक्षित जानकारी की समीक्षा और टिप्पणी करने के लिए जनता को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग ने एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया है।

(5) निम्न सभी अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति की गई है :

(A) व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

(B) आयोग ने पाया और निर्धारित किया है कि यह परियोजना व्यवहार्य है, सभी लागू कानूनों और नियमों के अनुरूप है, और यह डेल्टा के लाभदायक उपयोगों के लिए पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बहाल करने तथा जल प्रबंधन में सुधार के दीर्घावधि लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा।

1

(C) परियोजना से जुड़ा सभी पर्यावरणीय प्रलेखन कार्य पूरा हो चुका है, और संपन्न किए जाने के लिए आवश्यक अन्य सभी संघीय, राज्य और स्थानीय अनुमोदन, प्रमाणपत्र, और समझौते प्राप्त किए जा चुके हैं।

(b) आयोग इस अध्याय के अनुरूप वित्त पोषित परियोजना के लिए उपखंड (a) में चिह्नित मानदंडों में से प्रत्येक के लिए विधानमंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(c) उपखंड (a) के होते हुए भी, पर्यावरण प्रलेखन को पूरा करने तथा परियोजना को अनुमत करने के लिए इस अध्याय के तहत निधि उपलब्ध कराई जा सकती है।

79756. (a) धारा 79751 के उपखंड (c) में वर्णित परियोजना के अलावा इस अध्याय के अनुरूप वित्त पोषित परियोजना में सार्वजनिक लाभ लागत का हिस्सा, इस अध्याय के तहत वित्त पोषित किसी भी परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(b) किसी भी परियोजना को वित्त-पोषित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि वह धारा 79753 के उपखंड (a) के पैरा (1) में वर्णित रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार प्रदान करे, जो इस अध्याय के तहत वित्त-पोषित परियोजना के कुल सार्वजनिक लाभ का कम से कम 50 प्रतिशत हो।

79757. (a) इस अध्याय के तहत कोई परियोजना वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं है बशर्ते कि, 1 जनवरी, 2022 तक निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाएँ :

(1) सभी व्यवहार्यता अध्ययन पूरे हों और मसौदा पर्यावरण प्रलेखन सार्वजनिक समीक्षा के लिए उपलब्ध हो।

(2) आयोग निष्कर्ष निकालता है कि परियोजना व्यवहार्य है, और डेल्टा के लाभदायक उपयोगों के लिए पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बहाल करने और जल प्रबंधन में सुधार के लिए दीर्घावधि लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा।

(3) निदेशक प्रतिबद्धताएँ प्राप्त करता है जिसमें परियोजना के ग़ैर सार्वजनिक लाभ लागत में हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कम नहीं हैं।

(b) यदि उपखंड (a) का अनुपालन मुकदमेबाजी या विनियमों को लागू करने में विफलता के कारण टल जाए, तो उपखंड (a) की तिथि आयोग द्वारा उतने समय तक आगे बढ़ाई जाएगी जो विलंब की अवधि के बराबर है, तथा इस अध्याय के तहत परियोजना के लिए समर्पित वित्तपोषण उतने समय तक भारग्रस्त होगा, जब तक कि मुकदमा संपन्न हो जाए या विनियम लागू किए जाएँ।

79758. इस अध्याय के अनुरूप और धारा 79751 के उपखंड (a) में वर्णित भूतल भंडारण परियोजनाओं को धारा 11290 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय वैली परियोजना की इकाई बनाया जाएगा और खंड 6 के भाग 3 (धारा 11100 से शुरू होकर) के अनुसार वित्त पोषित, अधिगृहित, निर्मित, संचालित और अनुरक्षित किया जाएगा ।

79759. (a) इस अध्याय के अनुरूप काफ़्ड बे डेल्टा कार्यक्रम के निर्णय रिकॉर्ड दिनांकित 28 अगस्त, 2000 में अभिज्ञप्त भूतल भंडारण परियोजनाओं के डिज़ाइन, अधिग्रहण के लिए आबंटित निधियाँ, उन परियोजनाओं के डिज़ाइन, अधिग्रहण तथा निर्माण के लिए लागू होने वाले जलीय क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई जिले और अन्य स्थानीय जल जिले एवं स्थानीय सरकारों द्वारा बनाए गए स्थानीय संयुक्त शक्ति प्राधिकरणों को, उन प्रयोजनों के लिए प्रदान की जा सकती हैं।

(b) उपखंड (a) में वर्णित संयुक्त शक्ति प्राधिकरणों की सदस्यता में सरकारी भागीदार शामिल हो सकते हैं, जो भूतल भंडारण परियोजनाओं के वित्त पोषण में अपने संबद्ध जलीय क्षेत्रों के अंतर्गत अवस्थित न हों, जिसमें यथा उपयुक्त शामिल हैं, लागत की हिस्सा भागीदारी या इक्विटी भागीदारी। सरकारी संहिता की धारा 6525 के होते हुए भी, उपखंड (a) में वर्णित संयुक्त शक्ति एजेंसियों की सदस्यता में कोई लाभकारी निगम या कोई ऐसी म्यूचुअल वॉटर कंपनी शामिल नहीं होगी, जिसके शेयरधारकों और सदस्यों में लाभकारी निगम या अन्य कोई निजी संस्था शामिल हो। विभाग, इस खंड के अधीन प्रत्येक संयुक्त शक्ति प्राधिकरण का पदेन सदस्य होगा, लेकिन विभाग भूतल जल भंडारण परियोजनाओं के प्रशासन, प्रबंधन, या संचालन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा।

(c) इस खंड के अधीन संयुक्त शक्ति प्राधिकरण इस आवश्यकता के तहत एक भूतल जल भंडारण परियोजना का स्वामित्व रखेगा, उसको प्रशासित, प्रबंधित, और संचालित करेगा कि भूतल जल भंडारण परियोजना का स्वामित्व, प्रशासन, प्रबंधन और संचालन इस अध्याय में निर्धारित प्रयोजनों को आगे बढ़ाएगा।

79760. (a) जल गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचे में सुधार अधिनियम 2014 को अनुमोदित करते हुए जनता को सूचित और एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इस अध्याय के प्रावधान जल गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचे में सुधार अधिनियम 2014 के एकल उद्देश्य या कार्य के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, मतदाता अनुमोदन के बिना विधानमंडल द्वारा इस अध्याय के उपबंधों में कोई भी संशोधन इस अधिनियम के मतदाता अनुमोदन को प्रेरित करने वाली योजना और डिज़ाइन को विफल करेगा। इसलिए लोग मानते और घोषित करते हैं कि विधानमंडल द्वारा इस अध्याय के प्रावधानों में किसी संशोधन के लिए, विधानमंडल के प्रत्येक सदन में दो तिहाई सदस्यता से सकारात्मक वोट तथा मतदाता अनुमोदन आवश्यक है।

(b) इस खंड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए प्राधिकार के रूप में प्रशासित या उपयोग नहीं किया जाएगा कि क्या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का संशोधन, जो इस अध्याय में निहित नहीं है, योजना या डिज़ाइन में महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके लिए मतदाता के अनुमोदन की आवश्यकता है।

अध्याय 9. जल रीसाइक्लिंग

79765. निम्नलिखित सभी को सम्मिलित करते हुए जल रीसाइक्लिंग और उन्नत उपचार प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए अनुदान या ऋण हेतु, निधि से विधानमंडल द्वारा विनियोजन पर, सात सौ पच्चीस मिलियन डॉलर ($725,000,000) की राशि उपलब्ध होगी :

(a) पीने योग्य और पीने के लिए अयोग्य जल रीसाइक्लिंग परियोजनाओं के लिए, जिसमें शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, उपचार, भंडारण, ढुलाई और वितरण की सुविधाएँ।

(b) संदूषक तत्व और लवण हटाने वाली परियोजनाओं सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, भूजल और समुद्री जल विलवणीकरण और सहयोगी उपचार, भंडारण, ढुलाई और वितरण की सुविधाएँ।

(c) रीसाइकिल किए गए पानी के उपयोग को अनुमत करने वाला आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि, और औद्योगिक अंतिम उपयोगकर्ता रेट्रोफ़िट परियोजनाओं में काम आने वाला समर्पित वितरण संबंधी बुनियादी ढाँचा।

(d) नए पीने योग्य पुनरुपयोग और अन्य लवण और दूषित पदार्थों को हटाने की प्रौद्योगिकी के लिए प्रायोगिक परियोजनाएँ।

(e) बहु-लाभ रीसाइकिल की गई जल परियोजनाएँ, जो पानी की गुणवत्ता में सुधार करे।

(f) वंचित समुदायों के लिए तकनीकी सहायता और अनुदान लेखन सहायता।

79766. इस अध्याय के अनुरूप वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय लागत हिस्सा ज़रूरी है। वंचित समुदायों और आर्थिक रूप से विपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उस लागत की हिस्सेदारी को निलंबित या कम किया जा सकता है।

79767. इस अध्याय के अनुरूप वित्त पोषित परियोजनाओं का निम्नलिखित सभी मानदंडों पर विचार करके, प्रतियोगी आधार पर चयन किया जाएगा :

(a) जल आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार।

(b) डेल्टा या धारा के प्रवाहों से विचलन पर निर्भरता कम करने से संबंधित जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र लाभ।

(c) उन्नत पीने के पानी की गुणवत्ता या आपूर्ति से लोक स्वास्थ्य लाभ।

(d) लागत-प्रभावशीलता।

(e) ऊर्जा दक्षता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव।

(f) उत्तरी और दक्षिणी California और तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्र, दोनों सहित राज्य भर में पात्र परियोजनाओं का उचित भौगोलिक आबंटन।

79768. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, धारा 79140 और 79141 के अनुसार व्यवस्थित रीसाइकल कार्यक्रमों से सुसंगत या धारा 79545 और 79547.2 के अनुसार व्यवस्थित विलवणीकरण कार्यक्रमों के साथ सुसंगत प्रतियोगी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्याय 10. भूजल स्थिरता

79770. भूजल संदूषण की रोकथाम और सफाई सफल भूजल प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। भूजल की गुणवत्ता खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जल प्रदाता निम्नलिखित कार्य करते हैं:

(a) क्षेत्रीय जल आत्मनिर्भरता में सुधार के लिए स्थानीय भूजल को बढ़ाने वाले सतही जल, तूफानी जल, रीसाइकल किए हुए पानी और अन्य संयुक्त उपयोग प्रोजेक्ट्स में लगे निवेश का मूल्यांकन करना।

(b) जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई बदलती जलीय स्थितियों के अनुकूल बनाना।

(c) राज्य की जल वितरण प्रणाली में जलीय और नियामकीय भिन्नताओं को समायोजित करने के लिए अति आवश्यक स्थानीय भंडारण विकल्प की व्यवस्था हेतु भूजल बेसिन के विकास पर विचार करना।

(d) भूजल बहाली प्रोजेक्ट्स में निवेश का मूल्यांकन करना।

79771. (a) विधानमंडल द्वारा विनियोजन करने पर जल संदूषण की रोकथाम और सफाई के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पेयजल के स्रोत के रूप में या काम करते हों या कर चुके हों, पर खर्च और प्रतिस्पर्धी अनुदान, और ऋण के लिए निधि से नौ सौ मिलियन डॉलर ($900,000,000) उपलब्ध होंगे। इस धारा के अनुसार विनियोजित धनराशियां राज्य बोर्ड के पास वैसे ज़रुरी प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध होंगी जो एक समुदाय के लिए बड़े पेय जल के स्रोत का काम करता हो या कर चुका हो, और भूजल संदूषण की रोकथाम या इसे कम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता हो।

(b) प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकताएं निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर तय की जाएंगी :

(1) भूजल संदूषण द्वारा प्रभावित समुदाय की समग्र पेयजल आपूर्ति के लिए उत्पन्न खतरा, जिसमें यदि संदूषण के कारण भूजल उपलब्ध न हो तो वैकल्पिक आपूर्तियों के उपचार की तत्काल ज़रूरत या बढ़ा हुआ भूजल आयात भी शामिल है।

(2) आबादी के पास वाले इलाकों में भूजल संदूषण के फैलने और पेयजल आपूर्ति तथा जल भंडारण के दूषित होने की संभावना।

(3) पूरी तरह लागू करने पर स्थानीय जल आपूर्ति विश्वसनीयता को बढ़ाने में प्रोजेक्ट की क्षमता।

(4) कमजोर, उच्च उपयोग वाले भूजल बेसिनों के पुनर्भरण के अवसरों को अधिकतम और भूजल आपूर्ति का अनुकूलन करने की प्रोजेक्ट की क्षमता।

(5) प्रोजेक्ट किसी कार्यस्थल के वैसे संदूषण को संबोधित करता हो जिसके लिए जिम्मेदार पक्षों को न्यायालयों या उचित नियामक प्राधिकार ने अब तक चिन्हित न किया हो, या जहां चिन्हित जिम्मेदार पक्ष, सफाई की लागत का भुगतान करने में अनिच्छुक या असमर्थ हों। इस लागत में फेडरल कम्प्रेहेंसिव इनवायर्नमेंटल रिस्पोंस, कंपनसेशन, एंड लायाबिलिटी ऐक्ट 1980 (42 यू.एस.सी. की धारा 9605(a)(8)(B)) की धारा 105(a)(8)(B) के अनुसार स्थापित राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध भूजल संदूषण के साथ निर्दिष्ट सुपरफंड क्षेत्र में महत्वपूर्ण शहरी जलापूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार की लागत भी शामिल है।

(c) इस अध्याय के द्वारा अधिकृत वित्तपोषण का उपयोग भूजल भंडारण जलभृत के संदूषण उपचार की लागत के किसी भी हिस्से के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा, जो संदूषण के लिए जिम्मेदार पक्षों से वसूली गई हो, लेकिन उस लागत के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसे जिम्मेदार पक्षों से वसूल नहीं किया जा सकता हो। भूजल भंडार जलभृत के उपचार के लिए जो पक्ष फंडिंग प्राप्त करेंगे उन्हें भूजल की सफाई की लागत संदूषण के लिए जिम्मेदार पक्षों से वसूलने के उचित प्रयास करने होंगे। जिम्मेदार पक्षों से वसूली गई धनराशि का उपयोग केवल प्रशोधन और उपचार की गतिविधियों में किया जा सकता है।

79772. धारा 79771 के द्वारा अधिकृत धनराशियों में से अस्सी मिलियन डॉलर ($80,000,000) प्रशोधन और उपचार की गतिविधियों के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध होंगे, जो पेयजल स्रोत के भूजल संदूषण को कम या इसकी रोकथाम करती हों।

79773. ऐसे दूषक जिनका इस अध्याय के अनुसार किये जाने वाले वित्तपोषण से समाधान किया जा सकता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक शामिल नहीं है: नाइट्रेट्स, परक्लोरेट, MTBE (मिथाइल टर्शरीबुटाइल ईथर), आर्सेनिक, सेलेनियम, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, पारा, PCE (परक्लोरोइथाइलीन), TCE (ट्राइक्लोरोइथाइलीन), DCE (डाइक्लोरोईथीन), DCA (डाइक्लोरोईथेन), 1,2,3-TCP (ट्राइक्लोरोप्रोपेन), कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1,4-डाइऑक्सेन, 1,4-डाइऑक्सासाइक्लोहेक्सेन, नाइट्रोसोडिमिथाइलामीन, ब्रोमाइड, लोहा, मैंगनीज, और यूरेनियम।

79774. (a) इस अध्याय के तहत वित्तपोषण प्राप्त करने वाले किसी प्रोजेक्ट का चयन प्रतिस्पर्धी अनुदान या ऋण की प्रक्रिया द्वारा वैसे प्रोजेक्ट्स पर अधिक विचार के साथ किया जाएगा जो निजी, संघीय या स्थानीय वित्तपोषण का लाभ उठाते हैं।

(b) इस अध्याय के इस अध्याय के अंतर्गत वित्तपोषण राशि अवार्ड करने के उद्देश्यों के लिए, प्रोजेक्ट की कुल लागतों का कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय लागत हिस्सा आवश्यक होगा। लागत के बंटवारे सम्बन्धी आवश्यकता से ऐसे प्रोजेक्ट्स को छूट दी जा सकती है या इसे कम किया जा सकता है जो सीधे तौर पर वंचित समुदाय या एक आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्र को लाभ पहुँचाते हैं।

(c) इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए अनुदान या ऋण का प्रबंध करने वाली एजेंसी जिस सुविधा के लिए धन दिया जा रहा है, उसके परिचालन और रखरखाव के लिए समुदाय की भुगतान करने की क्षमता का आकलन करेगी।

(d) इस अध्याय के अनुसार उपलब्ध धनराशियों का कम से कम 10 प्रतिशत गंभीर रूप से वंचित समुदायों की सेवा करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आबंटित किया जाएगा।

(e) इस अध्याय के तहत अधिकृत फंडिंग में वंचित समुदायों की तकनीकी सहायता के लिए फंडिंग को भी शामिल किया जाएगा। इस धनराशि का प्रबंध करने वाली एजेंसी छोटे और वंचित समुदायों के लिए बहु-विषयक तकनीकी सहायता कार्यक्रम संचालित करेगी।

79775. धारा 79771 के तहत अधिकृत धनराशियों में से एक सौ मिलियन डॉलर ($100,000,000) प्रतिस्पर्धी अनुदान के लिए वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध होंगे, जो खंड 6 (धारा 10000 से शुरू होकर) के अंतर्गत स्थापित भूजल नियोजन की ज़रूरतों के अनुसार भूजल योजना तथा प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन और विकास करते हों।

अध्याय 11. बाढ़ प्रबंधन

79780. विधानमंडल के द्वारा निधि से विनियोजित किये जाने पर, तीन सौ पिच्चानवें मिलियन डॉलर ($395,000,000) की राशि जल संसाधन विभाग और सेंट्रल वैली बाढ़ सुरक्षा बोर्ड को राज्यव्यापी बाढ़ प्रबंधन सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों के उद्देश्य के लिए उपलब्ध होगी। धनराशियां ऐसे बहुलाभीय प्रोजेक्ट्स के लिए आबंटित की जायेंगी जो सार्वजनिक सुरक्षा हासिल करें और जिनमें मछली और वन्य जीव प्राकृतिक वास वृद्धि भी शामिल हो। जल संसाधन विभाग इस वित्तपोषण राशि को प्रस्तावों 84 और 1E से प्राप्त होने वाली धनराशियों के साथ समन्वित करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करेगा।

79781. धारा 79780 के द्वारा अधिकृत की गयी धनराशियों में से, दो सौ पिच्चानवें मिलियन डॉलर ($295,000,000) निम्नलिखित में से किसी के लिए डेल्टा में तटबंध विफलता और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए उपलब्ध होंगे:

(a) खंड 6 के भाग 9 (धारा 12980 से शुरू होकर) के अनुसार डेल्टा तटबंध रखरखाव सम्बन्धी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के तहत स्थानीय सहायता, जैसा वह भाग संशोधित किया जा सकता है।

(b) खंड 6 के भाग 4.8 के अध्याय 2 (धारा 12310 से शुरू होकर) के अनुसार विशेष बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स, जैसा वह अध्याय संशोधित किया जा सकता है।

(c) तटबंध सुधार सम्बन्धी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भूकम्प, बाढ़, या समुद्र के स्तर बढ़ने का सामना करने के लिए डेल्टा के भीतर तटबंधों का लचीलापन बढ़ाते हों।

(d) आपातकालीन जवाब और मरम्मत सम्बन्धी प्रोजेक्ट्स।

अध्याय 12. राजकोषीय प्रावधान

79785. (a) कुल सात बिलियन एक सौ बीस मिलियन डॉलर ($7,120,000,000) राशि के बॉण्ड, और कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार इस खंड के अनुरूप अधिकृत, जारी, और विनियोजित कोई भी अतिरिक्त बॉण्ड्स, या उनका जितना भाग आवश्यक हो, जिनमें धारा 79797 के अनुसार जारी किसी भी वापसी बॉण्ड की राशि शामिल नहीं है, इस खंड में व्यक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु प्रयोग किये जाने के लिए और सरकारी संहिता की धारा 16724.5 के अनुसार जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड एक्सपेंस रिवॉल्विंग फंड की प्रतिपूर्ति के लिए एक कोष प्रदान करने के लिए बेचे जा सकते हैं और जारी किये जा सकते हैं। बेचे जाने पर, ये बॉण्ड, California राज्य का एक वैध और बाध्यकारी दायित्व होंगे और निर्मित करेंगे, तथा बॉण्ड्स के मूलधन और ब्याज के देय हो जाने पर, उनके मूलधन और ब्याज दोनों के समय पर भुगतान के लिए California राज्य का पूरा विश्वास और उसकी साख एतद्द्वारा बंधक रखी जाती है।

(b) इस खंड के अनुसार कोषाध्यक्ष समिति के द्वारा अधिकृत किये गये बॉण्ड्स को बेचेगा। बॉण्ड्स सरकारी संहिता की धारा 16731 के अनुसार समिति के द्वारा पारित किये जाने वाले संकल्प में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर बेचे जायेंगे।

79786. इस खंड के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (धारा 16720 से शुरू होकर)) में प्रदान किये गये अनुसार तैयार किये जायेंगे, निष्पादित किये जायेंगे, जारी किये जायेंगे, बेचे जायेंगे, भुगतान किये जायेंगे, और मुक्त कराये जायेंगे, और उस कानून के सभी प्रावधान, क्योंकि वह कानून संशोधित किया जा सकता है, बॉण्ड्स और इस खंड के लिए लागू होंगे, सिवाय सरकारी संहिता की धारा 16727 के उपखंड (a) और (b) के उस सीमा तक कि वे उपखंड इस खंड के किसी अन्य प्रावधान के साथ मेल नहीं खाते हों।

79787. (a) केवल इस खंड के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स के स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (धारा 16720 से शुरू होकर)) के अनुसार निर्गमन और उनकी बिक्री को अधिकृत करने के उद्देश्य के लिए, एतद्द्वारा जल गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचा सुधार वित्त समिति बनायी गयी है। इस खंड के उद्देश्यों के लिए, जल गुणवत्ता, आपूर्ति, और बुनियादी ढाँचा सुधार वित्त समिति वह "समिति" है जिस संदर्भ में स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ में वह शब्द प्रयोग किया गया है।

(b) समिति वित्त निदेशक, कोषाध्यक्ष, और कंट्रोलर से मिल कर बनी होती है। कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, कोई भी सदस्य सभी उद्देश्यों के लिए उसकी जगह सदस्य के रूप में काम करने के लिए किसी प्रतिनिधि को निर्दिष्ट कर सकता है, मानो वह सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

(c) कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

(d) समिति का बहुमत समिति के लिए कार्य कर सकता है।

79788. समिति निर्धारित करेगी कि इस खंड में निर्दिष्ट कार्यों को कार्यांवित करने के लिए क्या इस खंड के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स जारी करना आवश्यक या वांछनीय है और, अगर ऐसा है, तो जारी किये जानेवाले और बेचे जाने वाले बॉण्ड्स की राशि। बॉण्ड्स के उत्तरोत्तर इश्यु उन कार्यों को कार्यांवित करने के लिए क्रमिक रूप से अधिकृत किये जा सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि जारी किये जाने के लिए अधिकृत सभी बॉण्ड्स किसी एक ही समय पर बेचे जायें।

79789. स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ के उद्देश्यों के लिए, सरकारी संहिता की धारा 16722 में परिभाषित किये गये अनुसार "बोर्ड" का मतलब है सचिव।

79790. राज्य के साधारण राजस्व के अलावा, हर वर्ष बॉण्ड्स के मूलधन और उस पर ब्याज की अदायगी करने के लिए आवश्यक राशि हर वर्ष और उसी ढंग में तथा उसी समय पर वसूली जायेगी जैसे राज्य के दूसरे राजस्व वसूले जाते हैं। राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में कानून के द्वारा प्रभारित सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उस अतिरिक्त राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक हर कार्य संपादित करें।

79791. सरकारी संहिता की धारा 13340 के होते हुए भी, एतद्द्वारा राज्य के कोष में सामान्य निधि से, इस खंड के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित के योग के बराबर एक राशि विनियोजित की गयी है:

(a) इस खंड के अनुसार जारी किये गये और बेचे गये बॉण्ड्स पर मूलधन और ब्याज के देय होने पर, बॉण्ड्स के मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक राशि।

(b) धारा 79794 के प्रावधानों को कार्यांवित करने के लिए आवश्यक राशि, वित्तीय वर्षों का विचार किये बिना विनियोजित।

79792. बोर्ड एकत्रित धन निवेश बोर्ड को सरकारी संहिता की धारा 16312 के अनुसार एकत्रित धन निवेश खाते से इस खंड को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए ऋण देने के लिए अनुरोध कर सकता है, ऋण की राशि में से धारा 79794 के अनुसार निकाली गयी कोई भी राशि कम हो जायेगी। अनुरोध की राशि उन अविक्रित बॉण्ड्स की राशि से अधिक नहीं होगी जो समिति के पास इस खंड को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए संकल्प के द्वारा बेचे जाने के लिए अधिकृत हैं। बोर्ड ऋण प्राप्त करने और उसकी अदायगी करने के लिए एकत्रित धन निवेश बोर्ड के द्वारा आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेगा। उधार दी गयी कोई भी राशि इस खंड के अनुसार आबंटित किये जाने वाली निधि में जमा की जायेगी।

79793. इस खंड, या स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, अगर कोषाध्यक्ष ऐसे बॉण्ड्स बेचता है जिनमें किसी बॉण्ड काउंसल की इस बाबत राय शामिल है कि निर्दिष्ट स्थितियों के तहत बॉण्ड्स पर ब्याज संघीय टैक्स के उद्देश्यों के लिए सकल आय से बाहर रखा गया है या अन्यथा किसी भी संघीय टैक्स सम्बन्धी फायदे का हकदार है, तो कोषाध्यक्ष बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त होने वाली निवेश की गयी धनराशियों के लिए और उन धनराशियों पर निवेश आय के लिए

अलग-अलग खाते बनाए रख सकता है, और उन धनराशियों या आय को किसी भी छूट, दंड या संघीय कानून के तहत आवश्यक अन्य भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकता है या उपयोग को निर्देशित कर सकता है या निवेश और उन बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशियों के सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है, जो उन बॉण्ड की कर-मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए और इस राज्य की धनराशियों की ओर से संघीय कानून के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए संघीय कानून के तहत आवश्यक या वांछनीय हो।

79794. इस खंड को कार्यांवित करने के उद्देश्यों के लिए, वित्त निदेशक सामान्य निधि से अधिकतम उन अविक्रित बॉण्ड्स की राशि के बराबर राशि या राशियां निकालने के लिए अधिकृत कर सकता है जिन्हें समिति के द्वारा इस खंड को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए बेचे जाने हेतु अधिकृत किया गया है, उस निकाली जाने वाली राशि में से धारा 79792 के अनुसार उधार ली गयी कोई भी राशि कम हो जायेगी। निकाली गयीं कोई भी राशियां निधि में जमा की जायेंगी। इस खंड के तहत उपलब्ध कराई कोई भी धनराशियां, एकत्रित धन निवेश खाते में धनराशियों के द्वारा अर्जित किये जाने वाले ब्याज की दर पर ब्याज के साथ, इस खंड को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशियों से, सामान्य निधि को वापस लौटा दी जायेंगी।

79795. निधि में जमा की जाने वाली ऐसी सभी धनराशियां जिन्हें इस खंड के अनुसार बेचे गये बॉण्ड्स के प्रीमियम और उपार्जित ब्याज से प्राप्त किया गया है, निधि में आरक्षित होंगी और वे बॉण्ड ब्याज के खर्चों के लिए क्रेडिट के रूप में सामान्य निधि में ट्रांसफर के लिए उपलब्ध होंगी, सिवाय इसके कि प्रीमियम से प्राप्त की जाने वाली राशियां सामान्य निधि में किसी भी ट्रांसफर से पूर्व बॉण्ड निर्गमन की लागत का भुगतान करने के लिए आरक्षित या उपयोग की जा सकती हैं।

79796. सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (धारा 16720 से शुरू होकर) के अनुसार बॉण्ड निर्गमन की लागत का भुगतान बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशियों में से किया जायेगा, जिनमें प्रीमियम, अगर कोई हो, भी शामिल है। जिस सीमा तक बॉण्ड निर्गमन की लागत का भुगतान बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त होने वाले प्रीमियम्स से नहीं होगा, उस सीमा तक ये लागतें लागू बॉण्ड बिक्री के द्वारा इस खंड के माध्यम से वित्तपोषित हर कार्यक्रम के द्वारा अनुपातिक रूप से बांट ली जायेंगी।

79797. इस खंड के अनुसार जारी किये गये और बेचे गये बॉण्ड्स सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (धारा 16780 से शुरू होकर) के अनुसार वापस किये जा सकते हैं, जो स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ का हिस्सा है। इस खंड के तहत राज्य के मतदाताओं के द्वारा बॉण्ड्स के निर्गमन के लिए दी जाने वाली मंजूरी में इस खंड या पहले से जारी कोई भी वापसी बॉण्ड्स के तहत मूल रूप से जारी किये गये कोई भी बॉण्ड्स की धन-वापसी करने के लिए जारी किसी भी बॉण्ड्स के निर्गमन की मंजूरी शामिल होगी।

79798. इस खंड के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशियां "करों से प्राप्त होने वाली धनराशियां" नहीं हैं जैसे California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में उस शब्द का प्रयोग किया गया है, और इन धनराधियों का वितरण उस अनुच्छेद के द्वारा लगायी गयी सीमाओं के अधीन नहीं है।

California में चुनाव

California के कानून के अनुसार किसी मतदाता-नामित पद के लिए सभी उम्मीदवारों को एक ही मतपत्र पर सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है। मतदाता-नामित पद राज्य के विधायी पद, अमेरिकी कांग्रेस के पद, और राज्य के संवैधानिक हैं।

ओपन प्राइमरी और आम चुनावों दोनों में, आप किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकते हैं, चाहे आपने अपने मतदाता पंजीकरण फॉर्म पर कोई भी पार्टी पसंदगी इंगित की हो। प्राथमिक चुनाव में, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार—चाहे उनकी पार्टी पसंदगी कोई भी हो—आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत (50 प्रतिशत +1) प्राप्त होता है, तो भी आम चुनाव आयोजित किया जाना चाहिये। भले ही ओपन प्राइमरी में किसी पद के लिए केवल दो ही उम्मीदवार हों, उस पद के लिए आम चुनाव अभी भी आवश्यक है।

California की ओपन प्राइमरी प्रणाली अमेरिकी प्रेसिडेंट, काउंटी सेंट्रल कमेटी, या स्थानीय पदों के लिए चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होती है।

California के कानून के अनुसार इस नोटिस पर निम्नलिखित जानकारी छापी जानी आवश्यक है।

मतदाता-नामित पद

प्राथमिक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां औपचारिक रूप से मतदाता-नामित पदों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने की हकदार नहीं हैं। किसी मतदाता-नामित पद के लिए नामित उम्मीदवार लोगों का नामित उम्मीदवार है, न कि आम चुनाव में किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामित उम्मीदवार। किसी मतदाता-नामित पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार के द्वारा अपनी पार्टी पसंदगी, या पार्टी पसंदगी का अभाव मतपत्र पर बताया गया होगा, लेकिन पार्टी पसंदगी पदनाम का चयन केवल उम्मीदवार के द्वारा किया जाता है और उसे केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार निर्दिष्ट पार्टी के द्वारा नामित या समर्थित है, या कि पार्टी और उम्मीदवार के बीच कोई संबद्धता है, और मतदाताओं के द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक तौर पर नामित उम्मीदवार होना नहीं समझा जायेगा। काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में, पार्टियां मतदाता-नामित पदों के लिए ऐसे उम्मीदवारों को सूचीबद्ध कर सकती हैं जिन्हें पार्टी का आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

कोई भी मतदाता किसी भी मतदाता-नामित पद के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकता है, अगर वे उस पद के लिए मतदान करने हेतु आवश्यक अन्य योग्यताओं को पूरा करते हों। प्राथमिक चुनाव में दो शीर्ष मत-प्राप्तकर्ता मतदाता-नामित पद के लिए आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं, भले ही दोनों उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी पसंदगी पदनाम निर्दिष्ट किया हो। कोई भी पार्टी अपनी पार्टी पसंदगी पदनाम वाले किसी उम्मीदवार को आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ाने की हकदार नहीं है, जब तक कि वह उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में दो अधिकतम मत-प्राप्तकर्ताओं में से एक न हो।

निर्दलीय पद

राजनीतिक पार्टियां प्राथमिक चुनाव में निर्दलीय पदों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने की अधिकारी नहीं हैं, और प्राथमिक चुनाव में कोई उम्मीदवार आम चुनाव में विशिष्ट पद के लिए किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामित उम्मीदवार नहीं होता है। किसी निर्दलीय पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार, मतपत्र पर, अपनी पार्टी पसंदगी, या पार्टी पसंदगी का अभाव निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। प्राथमिक चुनाव में दो शीर्ष मत-प्राप्तकर्ता निर्दलीय पद के लिए आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अपील सुनने वाली अदालत के न्यायाधीशों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, *www.courts.ca.gov* देखें।

California के कानून के अनुसार इस नोटिस पर निम्नलिखित जानकारी छापी जानी आवश्यक है।

California के संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और अपीलीय अदालतों के न्यायाधीश मतदाताओं के द्वारा की जाने वाली पुष्टि के आधीन हैं। हर न्यायाधीश के लिए कि क्या उसे बनाये रखना है जनता "हाँ में" या "नहीं में" मतदान करती है। ये न्यायिक पद नॉनपार्टिज़न यानि निर्दलीय हैं।

किसी व्यक्ति के अपीलीय अदालत का न्यायाधीश बन सकने से पहले, गवर्नर को उस उम्मीदवार का नाम न्यायिक प्रत्याशी मूल्यांकन आयोग को भेजना चाहिये, जिसमें जनता के सदस्य और वकील शामिल होते हैं। आयोग समुदाय के इनपुट के साथ उस उम्मीदवार की पृष्ठभूमि और योग्यताओं की गहन समीक्षा करता है, और फिर उम्मीदवार के अपने उस मूल्यांकन को गवर्नर को अग्रसरित कर देता है।

गवर्नर फिर आयोग के मूल्यांकन की समीक्षा करता है और आधिकारिक रूप से उम्मीदवार को नामांकित करता है, जिसकी योग्यताएं न्यायिक नियुक्तियों पर गठित आयोग की परीक्षा और समीक्षा से पहले जनसाधारण की टिप्पणी के आधीन हैं। उस आयोग में California के मुख्य न्यायाधीश, California के अटॉर्नी जनरल, और अपीली अदालतों के एक वरिष्ठ पीठासीन न्यायाधीश शामिल होते हैं। न्यायिक नियुक्तियों पर गठित आयोग को तब नामांकन की या तो पुष्टि कर देनी चाहिये या उसे अस्वीकार कर देना चाहिये। केवल पुष्टि किये जाने की दशा में ही नामांकित व्यक्ति न्यायाधीश बनता है।

पुष्टि के बाद, न्यायाधीश को पद की शपथ दिलायी जाती है और वह गवर्नर के अगले चुनाव में, और उसके बाद हर अवधि के समापन पर मतदाताओं की मंजूरी के आधीन होता है। California के संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और अपीलीय अदालतों के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित अवधि 12 वर्ष है। न्यायिक नियुक्तियों पर गठित आयोग के द्वारा न्यायाधीशों की पुष्टि केवल गवर्नर के अगले चुनाव तक की जाती है, जिस समय पर वे अपने पूर्ववर्ती न्यायाधीश की बाकी अवधि, अगर कोई हो, जो या तो चार या आठ वर्ष होगी, तक बने रहने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। (चुनाव संहिता की धारा 9083)

Alameda काउंटी
(510) 272-6933 या (510) 272-6973
www.acgov.org/rov

Alpine काउंटी
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Amador काउंटी
(209) 223-6465
www.amadorgov.org

Butte काउंटी
(530) 538-7761 या
(800) 894-7761 (केवल Butte काउंटी)
http://buttevotes.net

Calaveras काउंटी
(209) 754-6376
www.elections.calaverasgov.us

Colusa काउंटी
(530) 458-0500 या (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa काउंटी
(925) 335-7800 या (925) 335-7874
www.cocovote.us

Del Norte काउंटी
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

El Dorado काउंटी
(530) 621-7480 या (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections

Fresno काउंटी
(559) 600-VOTE (8683)
www.co.fresno.ca.us/elections

Glenn काउंटी
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/govt/departments/elections

Humboldt काउंटी
(707) 445-7481
www.co.humboldt.ca.us/election

Imperial काउंटी
(760) 482-4226 या (760) 482-4285
www.co.imperial.ca.us/elections

Inyo काउंटी
(760) 878-0224 या (760) 878-0410
www.inyocounty.us/Recorder/Clerk-Recorder.html

Kern काउंटी
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections

Kings काउंटी
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

Lake काउंटी
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/Rov.htm

Lassen काउंटी
(530) 251-8217 या (530) 251-8352
www.lassencounty.org

Los Angeles काउंटी
(800) 815-2666
www.lavote.net

Madera काउंटी
(559) 675-7720 या (800) 435-0509
www.madera-county.com

Marin काउंटी
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Mariposa काउंटी
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

Mendocino काउंटी
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr

Merced काउंटी
(209) 385-7541 या (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc काउंटी
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us

Mono काउंटी
(760) 932-5537 या (760) 932-5534
www.monocounty.ca.gov

Monterey काउंटी
(831) 796-1499 या (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us

Napa काउंटी
(707) 253-4321 या (707) 253-4374
www.countyofnapa.org

Nevada काउंटी
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/nc/elections

Orange काउंटी
(714) 567-7600
www.ocvote.com

Placer काउंटी
(530) 886-5650 या (800) 824-8683
www.placerelections.com

Plumas काउंटी
(530) 283-6256
www.countyofplumas.com

Riverside काउंटी
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

Sacramento काउंटी
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

San Benito काउंटी
(831) 636-4016 या (877) 777-4017
www.sbcvote.us

San Bernardino काउंटी
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

San Diego काउंटी
(858) 565-5800 या (800) 696-0136
www.sdvote.com

San Francisco काउंटी
(415) 554-4375
www.sfelections.org

San Joaquin काउंटी
(209) 468-2885
www.sjcrov.org

San Luis Obispo काउंटी
(805) 781-5228 या (805) 781-5080
www.slovote.com

San Mateo काउंटी
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

Santa Barbara काउंटी
(800) SBC-VOTE या (805) 568-2200
www.sbcvote.com

Santa Clara काउंटी
(408) 299-VOTE (8683)
www.sccvote.org

Santa Cruz काउंटी
(831) 454-2060 या (866) 282-5900
www.votescount.com

Shasta काउंटी
(530) 225-5730
www.elections.co.shasta.ca.us

Sierra काउंटी
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou काउंटी
(530) 842-8084 या
(888) 854-2000 एक्सटेंशन 8084
www.sisqvotes.org

Solano काउंटी
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma काउंटी
(707) 565-6800 या (800) 750-VOTE (8683)
vote.sonoma-county.org

Stanislaus काउंटी
(209) 525-5200
www.stanvote.com

Sutter काउंटी
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

Tehama काउंटी
(530) 527-8190 या (530) 527-0454
www.co.tehama.ca.us

Trinity काउंटी
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

Tulare काउंटी
(559) 624-7300 या (559) 624-7302
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters

Tuolumne काउंटी
(209) 533-5570
www.tuolumnecounty.ca.gov

Ventura काउंटी
(805) 654-2664
venturavote.org

Yolo काउंटी
(530) 666-8133 या (800) 649-9943
www.yoloelections.org

Yuba काउंटी
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

मतदाता अधिकार सूची

1. अगर आप एक वैध पंजीकृत मतदाता हैं, तो आपको वोट डालने का अधिकार है।

   एक वैध पंजीकृत मतदाता का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई नागरिक जो इस राज्य में निवास करता हो, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और जो किसी घोर अपराध के लिये सजा पाने के कारण जेल में या परोल पर न हो, और जो अपने मौजूदा निवास के पते पर मत डालने के लिए पंजीकृत हो।

2. अगर आपका नाममतदान सूचियों में नहीं दिया हुआ है, तो आपको अंतरिम मतपत्न पर वोट डालने का अधिकार है।

3. अगर आप मतदान बंद होने से पूर्व मतदान स्थल पर उपस्थित हैं और लाइन में हैं, तो आपको वोट डालने का अधिकार है।

4. आपको बिना भय या धमकी के गुप्त रूप से मतदान करने का अधिकार है।

5. यदि अपना मतपत्न डालने से पहले आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपको एक नया मतपत्न लेने का अधिकार है।

   यदि अपना मतपत्न अंतिम रूप से डालने से पहले आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपको खराब हो गए मतपत्न के बदले एक नया मतपत्न लेने का अधिकार है। डाक-द्वारा-मतदान सम्बन्धी मतदाता भी एक नया मतपत्न मांग सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते चुनाव दिवस पर मतदान समाप्त होने से पहले वे अपना खराब मतपत्न किसी चुनाव अधिकारी को लौटा दें।

6. अगर आप बिना सहायता के मतदान करने में असमर्थ हैं, तो आपको अपना वोट डालने में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

7. आपको काउन्टी के किसी भी प्रीसिंक्ट को पूरा किया गया डाक-द्वारा-मतदान सम्बन्धी मतपत्न लौटाने का अधिकार है।

8. आपको दूसरी भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते आपके प्रीसिंक्ट में ऐसा किए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में निवासी हों।

9. आपको चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछने तथा चुनाव प्रक्रिया को देखने का अधिकार है।

   आपको प्रिसिंक्ट बोर्ड और चुनाव अधिकारियों से चुनाव कार्यविधियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने और उनका उत्तर प्राप्त करने या उत्तर के लिए उपयुक्त अधिकारी के पास भेजे जाने का अधिकार है। लेकिन, यदि निरंतर प्रश्न पूछने से बोर्ड या चुनाव अधिकारियों के दायित्व निभाने में बाधा पड़ती है, तो वे प्रश्नों का उत्तर देना बंद कर सकते हैं।

10. आपको अधिकार है कि आप किसी भी गैर-कानूनी या कपटपूर्ण गतिविधि की रिपोर्ट किसी स्थानीय चुनाव अधिकारी को अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय में कर सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है,

अथवा आपको किसी भी चुनाव से जुड़ी धोखाधड़ी या गलत आचरण की जानकारी है,

तो कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की गोपनीय शुल्क मुक्त मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

आपके मतदाता पंजीकरण हलफनामे में दी गई सूचना का प्रयोग करके चुनाव अधिकारी आपको मतदान प्रक्रिया के बारे में आधिकारिक सूचना भेजेंगे, जैसे कि आपके मतदान स्थल की जगह और मुद्दे तथा उम्मीदवार जो मतपत्न पर दिखाई देंगे। मतदाता पंजीकरण सूचना का वाणिज्यिक उपयोग करने की कानूनन मनाही है और इसे एक दुष्कर्म माना जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा तय किए गए अनुसार किसी पद के उम्मीदवार, मतपत्न विधेयक समिति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव, अध्ययन, पत्नकारिता, राजनीतिक, अथवा सरकारी उद्देश्यों के लिए मतदाता जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दर्शाए गए ड्राइवर लाइसेंस और सोशल सिक्युरिटी नम्बर, अथवा आपके हस्ताक्षर, इन उद्देश्यों के लिए नहीं दिए जा सकते। यदि आपके मन में मतदाता जानकारी के संबंध में कोई प्रश्न हों अथवा आप ऐसी जानकारी के संदिग्ध दुरुपयोग की रिपोर्ट करना चाहते हों, तो कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

कुछ ऐसे मतदाता जिनके समक्ष जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति हो, गोपनीय मतदाता के दर्ज़े हेतु योग्य हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, (877) 322-5227 पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सेफ एट होम कार्यक्रम की टोल-फी लाइन से सम्पर्क करें या *www.sos.ca.gov* देखें।

California Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814

NONPROFIT
U.S. POSTAGE
PAID
CALIFORNIA
SECRETARY OF STATE

OFFICIAL ELECTION MAIL
Authorized by the U.S. Postal Service ®

★ **पूरक** ★

इस मार्गदर्शिका में प्रस्ताव 1 के बारे में जानकारी दी गयी है, जिसे पहली मतदाता मार्गदर्शिका के छप जाने के बाद मतपत्र में जोड़ा गया था।

CALIFORNIA

आम चुनाव

www.voterguide.sos.ca.gov

आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका

मतदान करने हेतु पंजीकरण कराने के लिए आखिरी दिन
सोमवार, 20 अक्तूबर, 2014

मतदान करना न भूलें!
मंगलवार, 4 नवम्बर, 2014
मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुला है।

For additional copies of the Voter Information Guide in English, please contact your county elections office or call (800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información para el Votante en español, póngase en contacto con la oficina electoral de su condado o llame al (800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

हिन्दी में मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका की अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त करने के लिए, कृपया अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें या इस नंबर पर फ़ोन करें (888) 345-2692।

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか(800) 339-2865にお電話ください。

សំរាប់សំណៅបន្ថែម នៃព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត ជាភាសាខ្មែរ សូមទាក់ទងការិយាល័យបោះឆ្នោត ខោនធីរបស់អ្នក ឬទូរស័ព្ទ (888) 345-4917។

한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong county o tumawag sa (800) 339-2957.

สำหรับสำเนาเพิ่มเติมของคู่มือสำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง เป็นภาษาไทย กรุณาติดต่อสำนักงานการเลือกตั้ง ประจำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số (800) 339-8163.

चुनाव की लागतों को कम करने के लिए, राज्य मतदान करने वाले हर परिवार के लिए केवल एक मार्गदर्शिका ही डाक से भेजता है।

OSP 14 135002